Agrinnovate India

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखाओं सहित)

2019-20

Annual Report

(Including Annual Accounts)

2019-20

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Agrinnovate India Limited

(A Government of India Enterprise)

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 | Agrinnovate India Limited, Annual Report 2019-20

एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड

वार्षिक प्रतिवेदन

(वार्षिक लेखा सहित)

2019-20

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल:

डॉ. त्रिलोचन महापात्र
अध्यक्ष

श्री संजय सिंह
उपाध्यक्ष

श्री बिम्बाधर प्रधान
निदेशक

डॉ. अशोक दलवाई
निदेशक

डॉ. प्रवीण मलिक
निदेशक

डॉ. संजीव सक्सेना
निदेशक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी:
डॉ. सुधा मैसूर

मुख्य वित्त अधिकारी:
श्री सौरभ मुनि

कम्पनी सचिव:
सुश्री धृति मदान

बैंकर्स:
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, उद्योग भवन, नई दिल्ली
सिंडिकेट बैंक / अब केनरा बैंक एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
ए-60, एनडीएसई, पार्ट 1, नई दिल्ली - 110 049

पंजीकृत कार्यालय:
जी-2, ए- ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012
दूरभाष : 011-25842122

आवरण पृष्ठ डिज़ाईन:
दिनेश कुमार, एस.ई. (आई.टी.)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एग्रीनोवेट इण्डिया लिमिटेड, जी-2, ए ब्लाक, एनएएससी कॉम्पलैक्स, डीपीएस मार्ग, नई दिल्ली- 110012 द्वारा प्रकाशित। मै. रॉयल ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-89/1, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली 110028 द्वारा लेजरटाईप सेट एंव मुद्रित।

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
कम्पनी का प्रदर्शन-एक नजर में	1-5
निदेशक की रिपोर्ट	6-26
वित्तीय स्थिति विवरण (बैलेंस शीट) एवं लाभ-हानि का विवरण	27-43
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	44-53
सचिवालय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	54-58
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) की टिप्पणी	59-60

संदेश

वर्ष 2007 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण की त्रिस्तरीय प्रणाली प्रभावी है जिसमें शीर्ष स्तर पर परिषद मुख्यालय में बौद्धिक सम्पदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन (IP & TM) इकाई, मध्य स्तर पर जोनल प्रौद्योगिकी प्रबंधन केन्द्र (ZTMCs) एवं निचले स्तर पर संस्थान प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाइयां (ITMUs) कार्यरत हैं जिनका प्रयोजन लाइसेन्सिंग के माध्यम से प्रभावी रीति में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना है। यह प्रणाली 93 से भी अधिक अनुसंधान संस्थानों में चलाई जा रही है और इससे देशभर में क्षमताशील उद्यमियों को 1600 से भी प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करने एवं कृषि आधारित अनेक सफल उद्यमों को सहयोग करने में मदद मिली है। इस यात्र के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक ''कॉरपोरेट फेस'' की जरूरत को महसूस किया जिससे अपने अनुसंधान संस्थानों के बीच प्रक्रियाओं को एकीकृत करते हुए एक केन्द्रीकृत रीति में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया जा सके । अत: **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)** जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, की स्थापना कम्पनीज अधिनियम, 1956 (1956 की संख्या 1) के अंतर्गत अक्तूबर, 2011 में की गई। यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

एक सार्वजनिक सेक्टर संस्थान की क्षमता में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के लिए 'नॉन-एक्सक्लूसिव' लाइसेन्सिंग के माध्यम से प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए परिषद के अनुसंधान संस्थानों के बीच बाजार के लिए तैयार नियामक अनुपालन प्रौद्योगिकियों हेतु **'वन स्टॉप शॉप (One Stop Shop)'** के रूप में प्राइमरी कार्य किया जाता है। इसके साथ ही एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) निम्न सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी संलग्न है जैसे कि समुचित कानूनी एवं सांविधिक अनुपालन के साथ व्यापक उत्पादन के लिए अनूठे जैव आधारित उत्पादों की व्यापक स्तरीय सोर्सिंग एवं आपूर्ति की प्रक्रिया; राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (NARS) के प्रोफेशनल सेवा कार्यों की सुविधा प्रदान करना; तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से व्यावसायीकरण की गति को बढ़ाने में मदद करना।

अपनी स्थापना एवं कार्यविधियों तथा दिशानिर्देशों को सुचारू बनाने पर प्रारंभिक वर्ष व्यतीत करने के उपरान्त कम्पनी ने रूपये 2,80,89,362/- का शुद्ध लाभ अर्जित करते हुए वर्ष 2018-19 से एक नया इतिहास रचा। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा निजी जनों एवं निजी कम्पनियों को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु अनेक नॉन-एक्सक्लूसिव लाइसेन्स प्रदान किए गए हैं और साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी उत्पादों की बिक्री की गई है।

अत्यंत प्रसन्नता से मैं एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के सभी निदेशकों, सदस्यों एवं सम्पूर्ण टीम को बधाई देता हूं। डॉ. सुधा मैसूर, सीईओ के मार्गदर्शन में सभी सदस्यों ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपने सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक आदान के माध्यम से कम्पनी की प्रगति में योगदान दिया है। आगामी वर्ष में कम्पनी के और अधिक बेहतर प्रदर्शन के प्रति मैं आशान्वित हूं।

त्रि. महापात्र

(त्रिलोचन महापात्र)
अध्यक्ष

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (ह्प्द)

कम्पनी का प्रदर्शन - एक नज़र में

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, की स्थापना कृषि में नवाचारों को प्रोत्साहित करने और उनमें तेजी लाने तथा ''नवोन्मेषी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाला विश्व'' बनाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई है। एक ओर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) वहीं दूसरी ओर कृषि सेक्टर के विभिन्न हितधारकों यथा किसानों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की फर्मों, अनुसंधान एवं विकास (R & D) संगठनों के बीच एक प्रभावी इन्टरफेस के रूप में कार्य करता है। साथ ही एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा कृषि व्यवसाय सेक्टर के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (NARES) से टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित एवं प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है।

प्रारंभिक हिचक के बाद कम्पनी ने व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन और बिक्री के लिए 'नॉन-एक्सक्लूसिव' लाइसेंस जारी करके उत्सुक उद्यमियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा बाजार के लिए तैयार की गई प्रौद्योगिकियों व उत्पादों का व्यावसायीकरण करते हुए हालिया समय में सफलतापूर्वक एक नया इतिहास रचा है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, लगभग एक दशक में कम्पनी का राजस्व रूपये 1,50,54,925/- के उच्चतम स्तर तक पहुंचा है जबकि पिछले वर्ष (2018-19) में यह रूपये 30,57,630/- था। तदनुसार, जहां पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में कम्पनी का शुद्ध लाभ रूपये 2,36,63,549/- था वहीं इसके मुकाबले में इस वर्ष (2019-20) में यह रूपये 2,80,89,362/- है।

चित्र 1 : एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड में एक लाइसेंसधारक को प्रौद्योगिकी समझौता सौंपते हुए

1.0 व्यवसाय विकास गतिविधियां

परिष्कृत वेबसाइट और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के तत्वावधान में 35 भाकृअनुप संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों को लाने में बढ़े हुए प्रयासों के साथ कम्पनी के माध्यम से व्यावसायीकरण के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों की सूची में लगभग 340 प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक भाकृअनुप संस्थानों के साथ प्रभावी तरीके से कार्य किया गया और लगभग 54 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में मदद की गई जिससे रूपये 1.50 करोड़ का सकल राजस्व अर्जित किया जा सका। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के इस प्रयास में फसल विज्ञान (37 प्रतिशत), डेयरी एवं पशु-चिकित्सा विज्ञान (33 प्रतिशत), बागवानी (23 प्रतिशत) तथा मात्स्यिकी (7 प्रतिशत) का उल्लेखनीय योगदान रहा। व्यवसाय विकास गतिविधियों की प्रक्रिया में शामिल हैं : उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता का सृजन करना; विभिन्न मीडिया एवं पारस्परिकता के माध्यम से प्रभावी संचार एवं प्रोत्साहन देना; वांछित लग्न के साथ चर्चा करना; संदर्भ बिन्दुओं को साझा करना; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण दस्तावेजों को तैयार करना; कानूनी वेटिंग एवं हस्तांतरण एवं तदुपरान्त उद्यमी को वास्तविक भौतिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

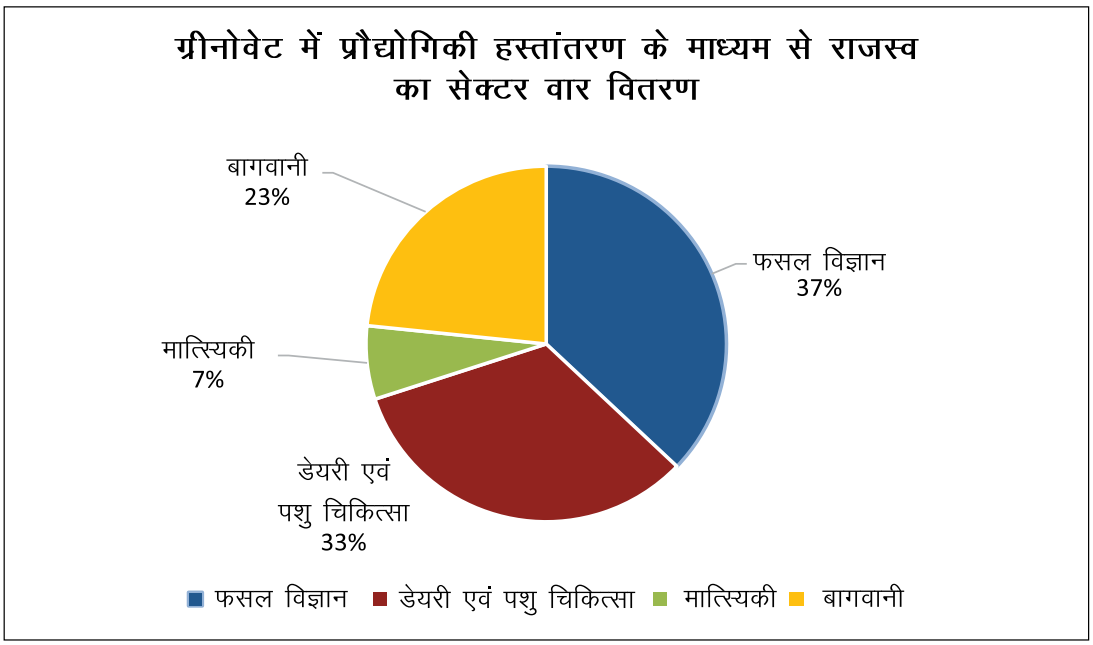

चित्र 1 : एग्रीनोवेट में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माधयम से राजस्व का सेक्टर वार वितरण

2.0 प्रोत्साहन गतिविधियां

कृषि प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के प्रयास में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) ने विभिन्न कार्यशालाओं और राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में भाग लिया और वहां कम्पनी में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत किया गया। इनमें शामिल उल्लेखनीय था :

- एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की वेबसाइट को परिष्कृत किया गया जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए वन स्टॉप शॉप पर तथा प्रौद्योगिकियों की जानकारी एवं सफलभ पहुंच पर फोकस किया गया।

- कृषि में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (IPRs) की विशेषता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा कृषि प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम' (10 जून, 2019) का आयोजन किया गया। देशभर से लगभग 70 से भी अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लेकर लाभ उठाया।

- अगरतला, त्रिपुरा में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की गतिविधियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सीआईआई एवं त्रिपुरा बागवानी विभाग के साथ 'अनानास महोत्सव' को सह प्रायोजित किया गया (28-29 जून, 2019)।

- दिनांक 22-23 अप्रैल, 2019 को हैदराबाद में भारत - अफ्रीकन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर फिक्की द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय 'ग्लोबल समिट' में भाग लिया।

- मैनेज, हैदराबाद द्वारा आयोजित ''स्टार्ट-अप से स्केल-अप' पर 'फीड दि फ्यूचर' के एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया (जून, 2019)।

- कोच्चि, केरल में 'VAIGA 2020 - कृषि उद्यमशीलता के माध्यम से टिकाऊ विकास' कार्यक्रम में भाग लिया एवं प्रस्तुतिकरण दिया (जनवरी, 2019)।

- एआईएम संस्थान, छतरपुर, नई दिल्ली में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया और वहां एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की गतिविधियों एवं भूमिका पर प्रस्तुतिकरण दिया (नवम्बर, 2019)।

- नई दिल्ली में 'कृषि में नवाचार एवं उद्यमशीलता' विषय पर सीआईआई की उत्तरी क्षेत्र के सम्मेलन में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण दिया (6 मार्च, 2020)।

3.0 तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन गतिविधियां

एग्रीनोवेट टीम द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के साथ तीस से भी अधिक तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन बैठकें आयोजित की गई और 300 से भी अधिक प्रौद्योगिकियों के लिए 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु मानक शर्तें' तैयार करने में वैज्ञानिकों की सहायता की गई। आयोजित की गई चर्चा में शामिल था : प्रौद्योगिकियों की प्रभावी लागत एवं मूल्य; प्रौद्योगिकियों के प्रत्येक सेट के लिए नियामक अनुपालन का विवरण; बाजार पहुंच एवं क्षमता; तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए प्रौद्योगिकी की तत्पर उपलब्धाता को सुनिश्चित करना।

- भाकृअनुप - केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान (ICAR - CIFA), भुवनेश्वर, ओड़िशा में एक बैठक आयोजित की गई ताकि संस्थान की प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक संभावना, मार्गदर्शन आवश्यकता के साथ-साथ व्यावसायीकरण की पसंदीदा रीतियों का मूल्यांकन किया जा सके और मानक शर्तें तैयार की जा सकें।

- भाकृअनुप - भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (ICAR - IVRI), इज्जतनगर, बरेली भाकृअनुप - राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीरक्रिया विज्ञान संस्थान (ICAR - NIANP), बेंगलुरू; भाकृअनुप - भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (ICAR - IIHR), बेंगलुरू; तथा भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR - IARI), नई दिल्ली आदि। में तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन समिति।

- भाकृअनुप - राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCP), रानी, गुवाहटी, असम में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई जिसके परिणामस्वरूप एग्रीनोवेट की वेबसाइट पर व्यावसायीकरण के लिए तैयार 340 प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया।

4.0 अंतराष्ट्रीय सहयोग एवं सम्पर्क

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा कुछ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के लिए भी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रिया की सुविधा प्रदान कराई गई है।

केले का स्यूडोस्टेम सैप अथवा रस, केला रेशा के निष्कर्षण का एक उपोत्पाद है तथा पादप पोषक तत्वों का भरपूर स्रोत और वृद्धि नियामक है। अवायवीय उष्मायन के माध्यम से जैविक इनपुट के साथ जब इसे समृद्ध किया जाता है तब सैप द्वारा रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर पोषक तत्वों के भरपूर स्रोत के रूप में कार्य किया जाता है। साथ ही यह जैविक कृषि प्रणाली में उपयोग करने के लिए भी उपयुक्त है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा फसल उत्पादकता संवर्धन के लिए जैव-उर्वरक के रूप में उपयोग करने के लिए 'केला स्यूडोस्टेम सैप' का लाइसेंस प्रदान करके मैसर्स एकर्यूड गैन्स प्रा. लि. (Accrued Gains Pvt. Ltd.), बोतस्वाना गणतंत्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कराई गई। नवसारी कृषि विश्वविद्यालय (NAU), नवसारी, गुजरात द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण दिसम्बर, 2019 में पांच वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक नॉन-एक्सक्लूसिव लाइसेन्स के माध्यम से किया गया ।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा गोजातीय ब्रूसेलोसिस की रोकथाम करने के लिए ब्रुसेला वैक्सीन टैक्नोलॉजी (ब्रुसेला एबॉर्टस S19 per9) की लाइसेंस प्रक्रिया में BIRAC के साथ सहयोग किया गया। इस प्रौद्योगिकी का विकास भाकृअनुप - भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (ICAR - IVRI), बरेली द्वारा किया गया है। इसका लाइसेंस सितम्बर, 2020 में 15 वर्षों की अवधि के लिए वैश्विक बाजार पहुंच के लिए हेस्टर बायोसाइन्सिज लिमिटेड, गुजरात को दिया गया है।

चित्र 2 : नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात में केला स्यूडोस्टेम सैप प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

ब्रुसेलोसिस विश्वभर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणिरूजा रोगों में शामिल है जो कि भारत में एक महामारी है। विलोपन उत्परिवर्तन द्वारा संशोधित ब्रुसेला एबॉर्टस एस 19 स्ट्रेन से क्लीनिकल संक्रमण के सेरो-नैदानिकी के साथ सुरक्षा एवं हस्तक्षेप के संबंध में पूर्व में उपयोग किए गए सजीव तनुकृत बी. एबॉर्टस एस 19 की कमियों को दूर करने में मदद मिलती है।

चित्र 3 : विभिन्न हितधारकों के बीच ब्रुसेला टीका प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहमति

5.0 रणनीति सेटिंग

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के लिए एक प्रमुख एवं निर्णायक गतिविधि के तहत कम्पनी के सुचारू कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करना और विभिन्न बाह्य सार्वजनिक एवं निजी सेक्टर वाले संस्थानों में अपनी गतिविधियों एवं मौजूदगी का बचाव करना शामिल है। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) बोर्ड अपनी सीईओ के साथ नीति आयोग, डेयर आदि के साथ कम्पनी की दृश्यता अथवा विजीबिलिटी को बढ़ाने के लिए नई युक्तियों का लगातार वर्णन और निर्धारण कर रहा है।

6.0 भावी रणनीति

सभी कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए वन स्टॉप शॉप और व्यावसायिक व्यवसायों के लिए तैयार बाजार के रूप में स्थापित करते हुए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा एग्रीनोवेट उद्यम स्केल-अप के माध्यम से राजस्व को बढ़ाने और स्टार्ट-अप सहयोग के माध्यम से कृषि इनोवेशन को बढ़ाने में अपनी गतिविधियों का विविधीकरण करने की दिशा में देखा जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

आपकी कम्पनी के निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा के लेखा परीक्षित विवरण के साथ कम्पनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर आठवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

कोविड 19

वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम महीने में कोविड-19 महामारी बहुत तेजी से एक वैश्विक संकट के रूप में फैली जिससे सरकारों को सभी आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए लॉक-डाउन लगाने हेतु विवश होना पड़ा। इस संकट की घड़ी में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) का फोकस तुरंत ही अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सेवाओं में अवरोध को न्यूनतम करने की दिशा में केन्द्रित हुआ। दिनांक 31 मार्च, 2020 को 90 प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित रूप से घर से ही कम्पनी का कार्य करने दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि उपभोक्ता की प्रतिबद्धताओं के प्रति किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया।

वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलोन एवं समेकित)

रिपोर्टाधीन अवधि वाले वर्ष में, आपकी कम्पनी का प्रदर्शन इस प्रकार रहा :

(भारतीय रूपये में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19
1	ऑपरेशन से राजस्व	1,50,54,925	30,57,630
2	अन्य आय	5,17,46,023	4,43,78,770
3	कुल व्यय	2,93,39,837	1,42,85,010
4	समग्र लाभ	3,76,46,281	3,31,55,649
5	कर के लिए प्रावधान	95,56,919	94,92,100
6	कर उपरांत शुद्ध लाभ	2,80,89,362	2,36,63,549

दिनांक 31.03.2020 को कम्पनी की बैलेंस शीट और दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ व हानि लेखा को तैयार कर लिया गया है जो कि अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

प्रचालनों का सारांश

कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2018-19 में जहां कुल 30,57,630/- रूपये का राजस्व हासिल किया गया था वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम्पनी ने अपने कार्यों से रूपये 1,50,54,925/- का राजस्व हासिल किया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष 2018-19 के लिए रूपये 10,06,656/- के मुकाबले वर्तमान वर्ष में रूपये 6,90,303/-

का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्पनी द्वारा जहां रूपये 2,36,63,549/- का शुद्ध लाभ कमाया गया था वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में शुद्ध लाभ रूपये 2,80,89,362/- रहा।

कम्पनी मामलों की स्थिति

रिपोर्टाधीन वर्ष में, कम्पनी द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्य किया गया :

व्यवसाय विकास गतिविधियां

विभिन्न हितधारकों तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में व्यवसाय विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक पहल की गई हैं। इनमें विभिन्न कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में भागीदारी करना भी शामिल है जैसे कि

- एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की वेबसाइट का परिष्करण करना;
- दिनांक 10 जून, 2019 को एक दिवसीय कृषि उद्यमशीलता कायक्रम;
- दिनांक 28-29 जून, 2019 को अगरतला, त्रिपुरा में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की गतिविधियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सीआईआई एवं त्रिपुरा बागवानी विभाग के साथ अनानास महोत्सव को सह-प्रायोजित करना;
- दिनांक 22-23 अप्रैल, 2019 को भारत - अफ्रीकन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर फिक्की द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय 'ग्लोबल समिट' में भाग लिया;
- जून, 2019 में मैनेज, हैदराबाद द्वारा 'स्टार्ट-अप से स्केल-अप' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 'फीड दि फ्यूचर' में भाग लिया;
- कृषि उद्यमशीलता के माध्यम से टिकाऊ विकास (VAIGA 2020);
- सरकार नामिती निदेशकों के लिए IICA – DPE दो दिवसीय उन्मुखता कार्यक्रम में भाग लिया;
- एआईएम संस्थान, छतरपुर में नवम्बर, 2019 में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की गतिविधियों एवं भूमिका पर प्रस्तुतिकरण दिया;
- मिशिगन स्टेट यूनीवर्सिटी एवं अफ्रीकन प्रतिनिधिमण्डल के साथ एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की बातचीत;
- दिनांक 6 मार्च, 2020 को कृषि में नवाचार एवं उद्यमशीलता पर आयोजित उत्तर क्षेत्र (CII) के सम्मेलन में भाग लिया

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकियों की पहुंच को विश्व स्तर पर बढ़ाने के अपने विजन के साथ, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहित किया गया। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा बोस्तवाना की एक कम्पनी को नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात की केला स्यूडोस्टेम आधारित जैव नाशकजीवनाशी फार्मुलेशन प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया गया (दिसम्बर, 2019)।

प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व योगदान

वर्ष 2019-20 के दौरान, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक भाकृअनुप संस्थानों के साथ प्रभावी तरीके से कार्य किया गया और लगभग 54 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में मदद की गई जिससे रूपये 1.50 करोड़ का सकल राजस्व अर्जित किया जा सका। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के इस प्रयास में फसल विज्ञान (37 प्रतिशत), डेयरी एवं पशु-चिकित्सा विज्ञान (33 प्रतिशत), बागवानी (23 प्रतिशत) तथा मात्स्यिकी (7 प्रतिशत) का उल्लेखनीय योगदान रहा।

तालिका 1 : प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण में सेक्टर वार योगदान

सेक्टर	लाइसेंस फीस
फसल विज्ञान	5555000
डेयरी एवं पशु-चिकित्सा	4925000
मात्स्यिकी	1000000
बागवानी	3496950
	14976950

लाभांश

कम्पनी के निदेशक विचाराधीन वर्ष के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं करते।

इस प्रयास को तालिका 2 में देखा जा सकता है जिसमें एक वर्ष के भीतर ही लाइसेन्सिंग के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की संख्या बढ़कर 340 से अधिक हो गई।

व्यावसायीकरण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियां

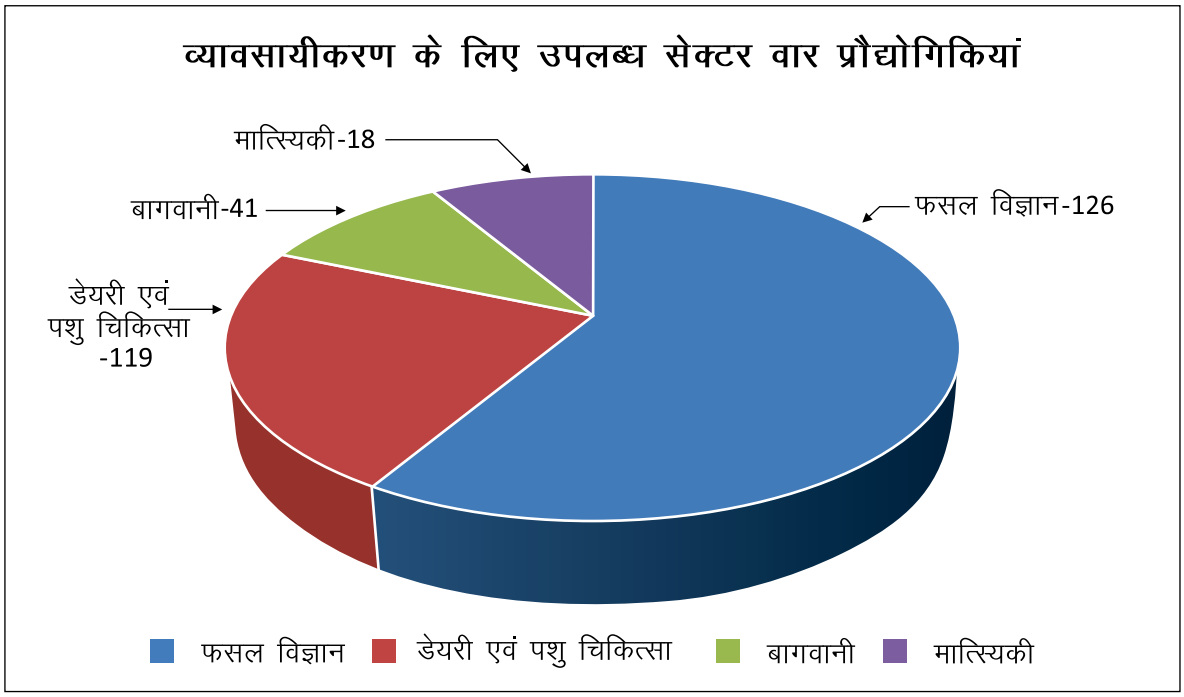

रिजर्व में राशि का स्थानान्तरण

कम्पनी के बोर्ड द्वारा अपने रिजर्व संग्रह में रूपये 2,80,89,362/- ले जाने का प्रस्ताव किया गया है।

निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

जैसा कि पूर्ववर्ती वर्ष के लिए निदेशक रिपोर्ट में बताया गया है, डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कम्पनी का निदेशक एवं निदेशक मण्डल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही श्री संजय सिंह, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कम्पनी का निदेशक एवं निदेशक मण्डल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

पुनः डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल, पशु पालन आयुक्त (DADF) ने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के निदेशक पद से अपना त्यागपत्र दिया। डॉ. प्रवीण मलिक, नए पशु पालन आयुक्त (DADF) को कम्पनी का निदेशक नियुक्त किया गया।

समीक्षा अवधि के दौरान, अन्य निदेशक यथावत बने रहे यथा डॉ. अशोक दलवाई, सीईओ, एनआरएए; श्री बिम्बाधर प्रधान (अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार) तथा डॉ. संजीव सक्सेना, सहायक महानिदेशक (IP & TM), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं मानदेय) नियमावली, 2014 (तत्कालीन समय के लिए लागू किसी भी सांविधिक संशोधान अथवा पुनः लागू सहित) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 2(51) एवं धारा 203 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पदनाम
1.	डॉ. सुधा मैसूर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री सौरभ मुनि	मुख्य वित्त अधिकारी
3.	सुश्री धृति मदान	कम्पनी सचिव

मामले के सभी तथ्यों, आरोप की धारा, आरोपी की प्रकृति, जांच अधिकारी की रिपोर्ट, श्रीमती निधि गौधा के आवेदन पर विचार करते हुए निदेशक मण्डल द्वारा श्रीमती निधि गोधा, कम्पनी सचिव को कम्पनी की सेवाओं से हटाया गया। श्रीमती गौधा के प्रमुख प्रबंधकीय पद, कम्पनी की एकमात्र स्थायी कर्मचारी होने के नाते एवं इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल द्वारा यह निर्णय किया गया कि श्रीमती गौड़ा पर पेनल्टी यथा **''सेवा से हटाना जो कि सरकार के अंतर्गत भावी रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं मानी जाएगी (Removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government)''** लगाकर न्याय की पूर्ति की जाएगी।

बोर्ड की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम्पनी के निदेशक मण्डल की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई जिनका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

बैठक की तारीख	बैठक में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या
25.07.2019	3
24.09.2019	3
22.11.2019	3
12.12.2019	3
12.02.2020	3
03.03.2020	4

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा इनकी नियुक्ति के समय ली जाए और उसे निदेशक की रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जाए।

वार्षिक रिटर्न का सार

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 92 (3) तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में, वार्षिक रिटर्न का सार रिपोर्ट के साथ एमजीटी-9 के प्रारूप में संलग्न है।

सांविधिक लेखा-परीक्षक, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरण का नोट

मैसर्स एस.सी. वर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेंट को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी का सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया था। मैसर्स एन.के. भार्गव एंड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, दिल्ली को वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी का आंतरिक लेखा-परीक्षक नियुक्त किया गया।

अनुसूची के नोट्स के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट में ऐसा कोई आकलन अथवा विशिष्टता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है जिस पर पुन: टिप्पणी करने अथवा स्पष्टीकरण देने की जरूरत हो। लेखा के नोट्स स्वत: व्याख्यात्मक हैं और इस बारे में कोई और टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

पुन: कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (aa) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 619 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कम्पनी के लेखा परीक्षक नियुक्त अथवा पुन: नियुक्त किए जाएं और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कम्पनी द्वारा अपनी वार्षिक आम बैठक में किया जाए।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 204 एवं नियमावली की शर्तों के तहत मैसर्स सौरभ अग्रवाल एंड कम्पनी, कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को कम्पनी का सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। इस रिपोर्ट के साथ सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कुछ आकलन दिए गए हैं जैसे कि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं डीपीई एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 से संबंधित अनुपालन ।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणी के संदर्भ में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी नियमावली, 2014 की धारा 149 एवं नियम 4 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसरण में कम्पनी द्वारा अभी तक किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है। इस संबंध में, निदेशक यह बताना चाहेंगे कि कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए अभ्यर्थी के नामांकन प्राप्त हो चुके हैं और नामित अभ्यर्थियों से सहमति भी प्राप्त कर ली गई है।

उपरोक्त के अलावा, प्रबंधन द्वारा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य किया जा रहा है। अन्य आकलनों को भावी अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधें अथवा समझौतों का विवरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तात्विक बदलाव

वित्तीय वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के मध्य कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई अन्य तात्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

लेखा परीक्षा (ऑडिट) समिति

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

क) डॉ. अशोक दलवाई-अध्यक्ष

ख) श्री बिम्बाधर प्रधान-सदस्य

ग) डॉ. संजीव सक्सेना-सदस्य

लेखा परीक्षा समिति, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसकी वित्तीय सूचना के खुलासे पर नजर रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और साख वाले हों; अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करेगी; आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, स्टाफ स्थिति और विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा की आवर्ती सहित आन्तरिक लेखा परीक्षा के कार्यों की उपयुक्तता की समीक्षा करेगी; तथा साथ ही आन्तरिक लेखा परीक्षा के साथ चर्चा करके कोई उल्लेखनीय परिणाम तथा अनुवर्ती कार्रवाई, आदि सुनिश्चित करेगी। ऑडिट समिति का आधार बढ़ाने के लिए इसका पुन: गठन किया गया है और अध्यक्ष, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ द्वारा डॉ. प्रवीण मलिक, पशु पालन आयुक्त को उपरोक्त वर्णन के अतिरिक्त समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी बोर्ड द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें शामिल सदस्य हैं :

1. डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल, निदेशक
2. डॉ. संजीव सक्सेना, निदेशक

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं तथा स्वतंत्रता

निर्धारित करने के लिए मानदण्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही समिति को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत करने; यह सुनिश्चित करना कि पारिश्रमिक का स्तर एवं संयोजन न्यायसंगत तथा पर्याप्त हो, प्रदर्शन और पारिश्रमिक का सह-संबंध स्पष्ट हो और इससे प्रदर्शन बेंचमार्क पूरे होते हों तथा इसमें निर्धारित तथा प्रोत्साहन वेतन के बीच एक संतुलन शामिल हो; की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। समिति को प्रत्येक निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और प्रदर्शन के आधार पर इसकी नियुक्ति करने अथवा हटाने की सिफारिश का दायित्व भी सौंपा गया है। डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल के त्यागपत्र के उपरान्त नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया और अध्यक्ष, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड द्वारा डॉ. एस.एस. होन्नाप्पागोल के स्थान पर डॉ. अशोक दलवाई, निदेशक को समिति का नया सदस्य नियुक्त किया गया।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी तथा निवेश का विवरण :

ऋण का विवरण :

क्र. सं.	ऋण की तारीख	ऋण लेने वाले का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए ऋण लेने वाले द्वारा ऋण का उपयोग किया जाना है	समयावधि जिसके लिए ऋण दिया गया है	बी.आर. की तारीख	एसआर की तारीख (यदि वांछित हो)	ब्याज दर	प्रतिभूति
				शून्य					

निवेश का विवरण :

क्र. सं.	निवेश की तारीख	निवेश का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा निवेश का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	बी. आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	वसूली की अपेक्षित दर
			शून्य				

प्रदान की गई गारंटी/प्रतिभूति का विवरण :

क्रं. सं.	प्रतिभूति/गारंटी प्रदान करने की तारीख	प्राप्तकर्ता का विवरण	राशि	प्रयोजन जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा गारंटी/ प्रतिभूति का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है	बी.आर. की तारीख	एस.आर. की तारीख (यदि वांछित हो)	कमीशन
			शून्य				

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च ऊर्जा, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन व खर्च का विवरण इस प्रकार है :

क) ऊर्जा संरक्षण :

संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए उठाए गए कदम	लागू नहीं
ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजीगत निवेश	लागू नहीं

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन :

प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयास	लागू नहीं
उत्पन्न लाभ	लागू नहीं
अनुसंधान व विकास पर खर्च, यदि कोई है	लागू नहीं
आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं
आयात का वर्ष	लागू नहीं
क्या आयातित प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेशन किया गया	लागू नहीं
ऐसे क्षेत्र जहां आयातित प्रौद्योगिकी का समावेशन नहीं किया जा सका, यदि कोई है	लागू नहीं

ग) विदेशी मुद्रा का अर्जन/खर्च :

अर्जन अथवा आय	शून्य
खर्च	शून्य

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण

कम्पनी व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आन्तरिक वित्त द्वारा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में नियंत्रण किया जाता है।

जमा

कम्पनी ने किसी प्रकार का नियत (फिक्शड) जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार आज की तारीख में तुलना-पत्र अथवा बैलेंस शीट के अनुसार मूल अथवा ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) नीति

कम्पनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर-15/0008/2014-निदेशक (सीएसआर) दिनांक 23.01.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मंत्री महोदय (HI & PE) के अनुमोदन से सीएसआर के लिए डीपीई दिशानिर्देशों को वापिस ले लिया गया है। साथ ही यह सुझाव भी दिया गया है कि कम्पनी द्वारा सीएसआर पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में सीएसआर गतिविधियां चलाई जाएं।

वर्तमान में, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) पर कम्पनीज अधिनियम, 2013 के तहत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि :

क) यह कि दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया;

ख) यह कि 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के मामलों (स्टेट ऑफ अफेयर्स) तथा इस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ/हानि की सही और स्पष्ट स्थिति देने के लिए निदेशकों द्वारा ऐसी लेखा नीतियां अपनाई गई तथा उपयुक्त निर्णय और आकलन विवेकपूर्ण ढंग से किए गए;

ग) यह कि धोखाधाड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने अथवा इनका पता लगाने और कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूपण में उचित लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए निदेशकों द्वारा उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई;

घ) यह कि निदेशकों द्वारा अपेक्षाओं के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए गए;

ड) यह कि निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उचित प्रणालियां तैयार की गई और ऐसी प्रणालियां प्रचालन के क्रियान्वयन में पर्याप्त एवं प्रभावी थीं।

अभिस्वीकृति

कम्पनी के निदेशक सभी स्तरों पर कार्यरत कम्पनी के कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, वेंडर्स एवं शैक्षणिक भागीदारों की सराहना करते हैं जिन्होंने कम्पनी की प्रगति और प्रदर्शन में अपना सतत योगदान दिया है।

भारत सरकार, भारत में विभिन्न राज्यों की सरकार, विभिन्न देशों की सरकार तथा संबंधित सरकारी विभागों एवं एजेन्सियों को उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए कम्पनी निदेशक अपना आभार व्यक्त करते हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण हुई जीवन क्षति के प्रति कम्पनी निदेशक अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और इस महामारी से संघर्ष करने में अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक मेडीकल एवं अन्य सेवाजनों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हैं।

आपके निदेशक इस अवसर का लाभ कम्पनी के निदेशक बोर्ड के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग व मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही मैं कम्पनी की प्रगति में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; कम्पनी के सांविधिक तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों; भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक विभाग के अधिकारियों तथा कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूं।

कृते निदेशक बोर्ड

(त्रिलोचन महापात्र)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

फार्म सं. एमजीटी 9

वार्षिक लाभ का सार

दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कम्पनी नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) (प्रबंधन एवं प्रशासन) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i	CIN	U01400DL2011GOI226486
ii	पंजीकरण की तारीख	19/10/2011
iii	कम्पनी का नाम	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़
iv	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सरकारी सार्वजनिक कम्पनी
v	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	जी-2, ए ब्लॉक, एनएएससी परिसर, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली- 110 012
vi	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (यदि कोई है) का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यवसाय गतिविधियां

कम्पनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत अथवा अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यवसाय गतिविधियों को बताया जाए।

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि समूह कोड	मुख्य गतिविधि का नाम एवं विवरण	व्यवसाय गतिविधि कोड	व्यवसाय गतिविधि का कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का :
1	A	कृषि	A 4	प्रणाली में सृजित बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण एवं रख रखाव करना और सार्वजनिक हित के लिए इसका व्यावसायीकरण/वितरण करना	शून्य
2	A	कृषि	A 4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों यथा बीज, रोपण सामग्री, टीका, नैदानिकी, अनेक अन्य जैव प्रौद्योगिकीय उत्पाद, अन्य मूल्य वर्धित निवेश एवं उत्पाद, फार्म उपकरण व मशीनरी, अन्य प्रौद्योगिकियां आदि में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की उत्पाद प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उत्पादन, विपणन एवं उन्हें प्रचलित करना।	100 प्रतिशत
3	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M 3	परामर्श सेवाओं, अनुबंधीय अनुसंधान, कस्टमाइज्ड क्षमता निर्माण आदि जैसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कौशल सेवाओं का प्रोफेशनल विस्तार प्रदान करना।	0%

4	A	कृषि	A 4	भारत से बाहर विशेषकर अफ्रीका एवं एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुसंधान एवं उत्पादन फार्म की स्थापना करना। विभिन्न कार्यशालाओं तथा प्रगति के माध्यम से ग्लोबल ब्राण्ड का निर्माण करने की पहल के साथ संवर्धन निर्माण पहल का हिस्सा बनना	0%
5	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M 3	विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि इंजीनियरिंग आदि में उत्पादन और प्रसंस्करण संयंत्रों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना	0%
6	A	कृषि	A 4	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा तथा अन्य क्षमता निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का सृजन करना	0%
7	M	प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी	M 3	मांग चालित अनुसंधान को सहयोग करने के लिए बाजार बुद्धिचातुर्य, मूल्यीकरण एवं मूल्यांकन मुद्दों जैसे प्रबंधन के साथ कृषि विज्ञान में समेकित कुशलता वाली गतिविधियों को चलाना	0%

III. स्वामित्व, सहायक तथा एसोसिएट कम्पनियों का विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन (CIN/GLN)	स्वामित्व/सहायक/ एसोसिएट	उपलब्ध शेयरों का:	लागू धारा
1	शून्य				

IV. शेयरधारक पैटर्न (कुल इक्विटी में प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विवरण)

क्र. स.	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत
		डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का :	डीमेट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का :	
क.	**प्रोमोटर्स**									
1.	भारतीय			शून्य				शून्य		
	क) वैयक्तिक /HUF (भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में)	शून्य	60	60	0	शून्य	60	60	0	

	ख) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार	शून्य	4,99, 99,940	4,99, 99,940	100	शून्य	4,99, 99,940	4,99, 99,940	100	शून्य
	ग) कारपोरेट बॉडीज			शून्य				शून्य		
	घ) बैंक / वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य		
	ड) कोई अन्य			शून्य				शून्य		
	उप योग : (क) (1)									
2	विदेशी									
	क) NRI- वैयक्तिक			शून्य				शून्य		शून्य
	ख) अन्य वैयक्तिक			शून्य				शून्य		
	ग) बॉडीज कॉरपोरेट			शून्य				शून्य		
	घ) बैंक / वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य		
	ड) कोई अन्य			शून्य				शून्य		
	उप योग : (क) (2)									
	प्रोमोटर की कुल शेयरधारिता (क)=(क) (1) +(क)(2)			5,00,00,000				5,00,00,000		
ख.	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
1.	संस्थानगत									
	क) म्यूचुअल फंड			शून्य				शून्य		शून्य
	ख) बैंक /वित्तीय संस्थान			शून्य				शून्य		
	ग) केन्द्र सरकार			शून्य				शून्य		
	घ) राज्य सरकार			शून्य				शून्य		
	ड) उद्यम पूंजी फंड			शून्य				शून्य		
	च) बीमा कम्पनियां			शून्य				शून्य		
	ह) FIIS			शून्य				शून्य		
	ज) विदेशी उद्यम पूंजी फंड			शून्य				शून्य		
	झ) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य		
	उप योग (ख) (1) :									
2.	**गैर संस्थानगत**									
	क) बॉडीज कॉरपोरेट			शून्य				शून्य		शून्य
	i) भारतीय			शून्य				शून्य		
	ii) विदेशी			शून्य				शून्य		
	ख) वैयक्तिक			शून्य				शून्य		
	i) रूपये एक लाख तक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक			शून्य				शून्य		

	ii) रूपये एक लाख से अधिक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक			शून्य				शून्य		
	ग) अन्य (स्पष्ट करें)			शून्य				शून्य		
	उप योग (ख) (2) :									
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)= (ख) (1)+(ख) (2)			शून्य				शून्य		शून्य
	ग. जीडीआर तथा एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर			शून्य				शून्य		शून्य
	समग्र योग (क+ख+ग)			5,00,00,000				5,00,00,000		शून्य

ख) प्रोमोटर्स की शेयरधारिता

क्र. स.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर धरिता में बदलाव का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी:	कुल शेयरों में बंधक शेयर भारिता का :	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी:	कुल शेयरों में बंधक शेयर भारिता का :	
1.	श्री ए.जी. सुब्रहमण्यम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	4,99,99,940	99,99988	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	श्री ए.आर. सेनगुप्ता	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री टी.बी. भाविस्कर	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री प्रेम प्रकाश मौर्य	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री राजेश कुमार	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	श्री राजन अग्रवाल	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	श्री जितेन्द्र मिश्रा	10	0.00002	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया स्पष्ट करें)

	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी :	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी :
वर्ष के प्रारंभ में	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में दिनांक-वार वृद्धि/कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/स्थानान्तरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष की समाप्ति पर	5,00,00,000	100	5,00,00,000	100

	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारिता		
प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों के लिए	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों में हिस्सेदारी :	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य		
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में दिनांक-वार वृद्धि/ कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें) **दिनांक 8.11.2016 के परिपत्र संकल्प के माध्यम से डेयर से प्राप्त नामांकन के अनुसंधान स्थानान्तरित**	499,99,990	100	499,99,990
वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलग होने की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)	499,99,990	100	499,99,990
निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधरिता - शून्य			
प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के लिए			
वर्ष के प्रारंभ में			
वर्ष के दौरान प्रोमोटर्स की शेयरधारिता में दिनांक-वार वृद्धि/ कमी (वृद्धि/कमी यथा आवंटन/स्थानान्तरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि के लिए कारण स्पष्ट करें)			
वर्ष की समाप्ति पर	शून्य		

V. कर्जदारी

लागू नहीं

बकाया /उपार्जित ब्याज सहित कम्पनी की कर्जदारी लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं				
	जमा को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जमा	शून्य	शून्य	शून्य	
कमी	शून्य	शून्य	शून्य	
निवल बदलाव			शून्य	
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कर्जदारी अथवा ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	शून्य	शून्य	शून्य	
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	
iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	
कुल (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

लागू नहीं

क्र. स.	पारिश्रमिक का विवरण		प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक का नाम	कुल राशि
1.	**सकल वेतन**			
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	शून्य		
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य			
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ			
2.	स्टॉक विकल्प			
3.	स्वीट इक्विटी			
4.	कमीशन			
	लाभ के प्रतिशत के रूप में			
	अन्य (स्पष्ट करें)			
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें			

	कुल (क)			
	अधिनियम के अनुसार सीमित			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : लागू नहीं

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (1)				
2.	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक				
	क) बोर्ड समिति बैठकों में भाग लेने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	
	ख) कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	ग) अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल (2)				
	कुल (ख) = (1+2)				
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा				
	प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक (WTD) के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मानदेय				

ग. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मानदेय

क्र सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				कुल
1.	सकल वेतन	**CEO**	**CS**	**CFO**	कुल	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधनों के अनुसार वेतन	42,00,000	6,60,000	शून्य	48,60,000	
	ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व निर्धारित का मूल्य		शून्य	शून्य		
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य		
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य		
3.	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य		
4.	कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य		
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य		
	अन्य, स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य		
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य		
	कुल	**42,00,000**	**6,60,000**	**शून्य**	**48,60,000**	

VII. अपराधों की पेनल्टी/दण्ड/कम्पाउन्डिंग अथवा समझौता

क्र सं.	किस्म	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	पेनल्टी/दण्ड /लगाई गई समझौता फीस का विवरण	एथॉरिटी (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	यदि कोई अपील की गई है तो कृपया विवरण दें
क.	**कम्पनी**					
	पेनल्टी	शून्य				
	दण्ड	शून्य				
	समझौता	शून्य				
ख.	**निदेशक**					
	पेनल्टी	शून्य				
	दण्ड	शून्य				
	समझौता	शून्य				
ग.	**अन्य दोषी अधिकारी**					
	पेनल्टी	शून्य				
	दण्ड	शून्य				
	समझौता	शून्य				

अध्यक्ष की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

मुझे, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने और हमारी कम्पनी एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ (AgIn) की नवीं वार्षिक आम बैठक में आप सबका अभिनंदन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पहले ही परिचालित किया जा चुका है और आप सबकी सहमति से मैं इसे इस प्रकार पढ़ता हूं।

वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम महीने में कोविड-19 महामारी बहुत तेजी से एक वैश्विक संकट के रूप में फैली जिससे सरकारों को सभी आर्थिक गतिविधियों को रोकने के लिए लॉक-डाउन लगाने हेतु विवश होना पड़ा। इस संकट की घड़ी में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) का फोकस तुरंत ही अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सेवाओं में अवरोध को न्यूनतम करने की दिशा में केन्द्रित हुआ। दिनांक 31 मार्च, 2020 को 90 प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित रूप से घर से ही कम्पनी का कार्य करने दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि उपभोक्ता की प्रतिबद्धताओं के प्रति किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया।

मुझे यह देखकर अति संतोष हुआ है कि विभिन्न बोर्ड बैठकों के दौरान आत्मसात किए गए हमारे विचारों को टीम द्वारा प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किया जा रहा है और मुझे आशा है कि आने वाले वर्ष में कहीं बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) के तहत विकसित प्रौद्योगिकियों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है और इनका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ सामंजस्य कर लिया गया है। अब, हम भागीदारी के माध्यम से इनोवेशन और क्षमता चालित कृषि विकास को बढ़ाने और उत्प्रेरित करने के लिए नए अवसरों का लाभ उठाने की स्थिति में हैं।

व्यवसाय विकास गतिविधियां

विभिन्न हितधारकों तक अपनी सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में व्यवसाय विकास कार्यक्रम के भाग के तौर पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक पहल की गई हैं। इसमें विभिन्न कार्यशालाओं तथा राष्ट्रीय स्तर की बैठकों में की गई प्रतिभागिता शामिल थी जिसका विवरण इस प्रकार है :

- एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की वेबसाइट का परिष्करण करना;
- दिनांक 10 जून, 2019 को एक दिवसीय कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम
- दिनांक 28-29 जून, 2019 को अगरतला, त्रिपुरा में एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की गतिविधियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सीआईआई एवं त्रिपुरा बागवानी विभाग के साथ अनानास महोत्सव को सह-प्रायोजित करना ।
- दिनांक 22-23 अप्रैल, 2019 को भारत - अफ्रीकन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर फिक्की द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय 'ग्लोबल समिट' में भाग लिया।

- जून, 2019 में मैनेज, हैदराबाद द्वारा 'स्टार्ट-अप से स्केल-अप' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 'फीड दि फ्यूचर' में भाग लिया।
- भाकृअनुप - केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान (ICAR - CIFA), भुवनेश्वर, ओड़िशा में एक बैठक आयोजित की गई ताकि संस्थान की प्रौद्योगिकियों के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक संभावना, मार्गदर्शन आवश्यकता के साथ-साथ व्यावसायीकरण की पसंदीदा रीतियों का मूल्यांकन किया जा सके और मानक शर्तें तैयार की जा सकें।
- भाकृअनुप - राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केन्द्र (ICAR - NRCP), रानी, गुवाहटी, असम में जागरूकता कार्यशाला।
- कृषि उद्यमशीलता के माध्यम से टिकाऊ विकास (VAIGA 2020)
- सरकार नामिती निदेशकों के लिए IICA – DPE दो दिवसीय उन्मुखता कार्यक्रम में भाग लिया।
- एआईएम संस्थान, छतरपुर में नवम्बर, 2019 में अटल इनोवेशन मिशन द्वारा आयोजित सेमिनार में भाग लिया और एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की गतिविधियों एवं भूमिका पर प्रस्तुतिकरण दिया।
- मिशिगन स्टेट यूनीवर्सिटी एवं अफ्रीकन प्रतिनिधिमण्डल के साथ एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) की बातचीत
- दिनांक 6 मार्च, 2020 को कृषि में नवाचार एवं उद्यमशीलता पर आयोजित उत्तर क्षेत्र (CII) के सम्मेलन में भाग लिया।

कम्पनी की प्रोत्साहन गतिविधियां

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकियों की पहुंच को विश्व स्तर पर बढ़ाने के अपने विजन के साथ, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रोत्साहित किया गया। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) कम्पनी द्वारा बोस्तवाना की एक कम्पनी को नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात की केला स्यूडोस्टेम आधारित जैव नाशकजीवनाशी फार्मुलेशन प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक हस्तांतरित किया गया (दिसम्बर, 2019)।

प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के माध्यम से राजस्व योगदान

वर्ष 2019-20 के दौरान, एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) द्वारा अनेक भाकृअनुप संस्थानों के साथ प्रभावी तरीके से कार्य किया गया और लगभग 52 प्रौद्योगिकियों को हस्तांतरित करने में मदद की गई जिससे रूपये 1.50 करोड़ का सकल राजस्व अर्जित किया जा सका। एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn) के इस प्रयास में फसल विज्ञान (37 प्रतिशत), डेयरी एवं पशु-चिकित्सा विज्ञान (33 प्रतिशत), बागवानी (23 प्रतिशत) तथा मात्स्यिकी (7 प्रतिशत) का उल्लेखनीय योगदान रहा।

तालिका 1 : प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण में सेक्टर वार योगदान

सेक्टर	लाइसेंस फीस
फसल विज्ञान	5555000
डेयरी एवं पशु-चिकित्सा	4925000
मात्स्यिकी	1000000
बागवानी	3496950
	14976950

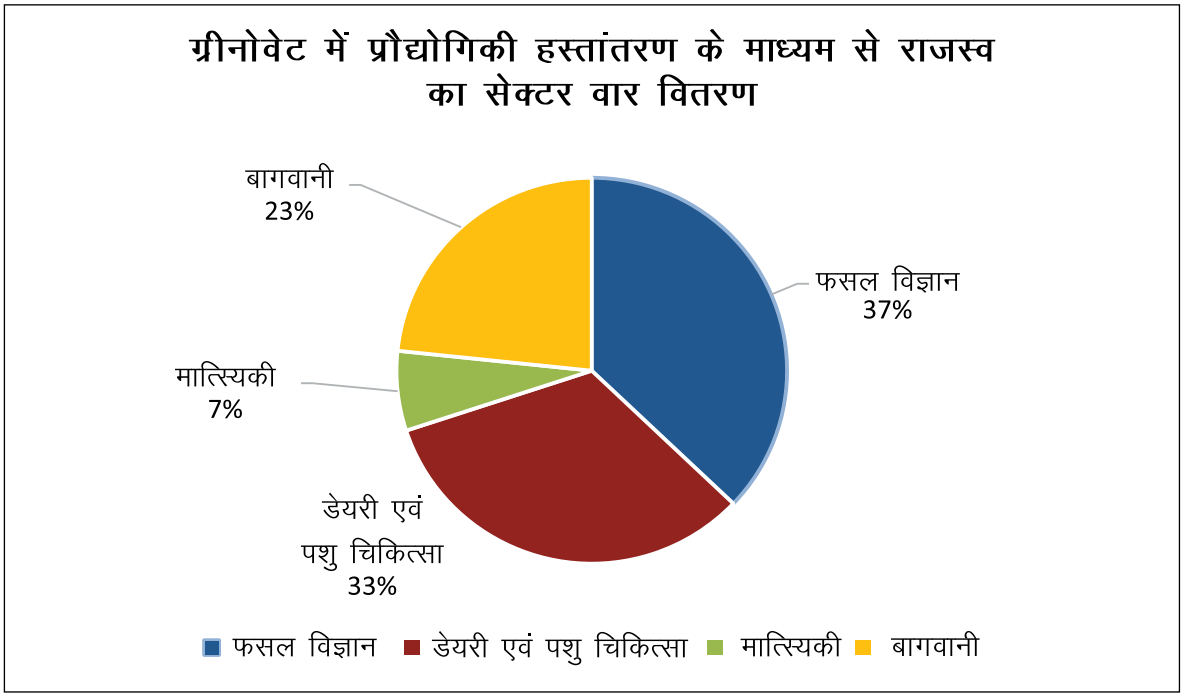

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के और अधिक संस्थानों को शामिल करने और व्यावसायीकरण के लिए प्रौद्योगिकी विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस प्रयास को तालिका 2 में देखा जा सकता है कि लाइसेन्सिंग के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की संख्या एक वर्ष के भीतर बढ़कर 340 से अधिक हो गई है।

वित्तीय विशेषताएं

कम्पनी द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2018-19 में जहां कुल 30,57,630/- रूपये का राजस्व हासिल किया गया था वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम्पनी ने अपने कार्यों से रूपये 1,50,54,925/- का राजस्व हासिल किया गया है। पूर्ववर्ती वर्ष 2018-19 के लिए रूपये 10,06,656/- के मुकाबले वर्तमान वर्ष में रूपये 6,90,303/- का अवमूल्यन दर्ज किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्पनी द्वारा जहां रूपये 2,36,63,549/- का शुद्ध लाभ कमाया गया था वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में शुद्ध लाभ रूपये 2,80,89,362/- रहा।

अभिस्वीकृति

मैं, सभी स्तरों पर कार्यरत कम्पनी के कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, वेंडर्स एवं शैक्षणिक भागीदारों की सराहना करता हूं जिन्होंने कम्पनी की प्रगति और प्रदर्शन में अपना सतत योगदान दिया है।

भारत सरकार, भारत में विभिन्न राज्यों की सरकार, विभिन्न देशों की सरकार तथा संबंधित सरकारी विभागों एवं एजेन्सियों को उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।

कोविड-19 महामारी के कारण हुई जीवन क्षति के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और इस महामारी से संघर्ष करने में अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक मेडीकल एवं अन्य सेवाजनों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करता हूं।

इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं, कम्पनी के निदेशक मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए मूल्यवान सहयोग व मार्गदर्शन के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं तथा साथ ही मैं कम्पनी की प्रगति में कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; कम्पनी के सांविधिक तथा आन्तरिक लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक विभाग के अधिकारियों तथा कम्पनी के बैंकरों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के प्रति अपनी कृतज्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूं।

साभार,

आपका

(डॉ. त्रिलोचन महापात्र)

अध्यक्ष

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

स्थान : नई दिल्ली

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को तुलना-पत्र अथवा बैलेंस शीट

(राशि रूपये में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
I	**इक्विटी एवं देयताएं अथवा देनदारियां**			
(1)	**शेयरधारकों का फंड**			
	क) शेयर पूंजी	2	50,00,00,000	50,00,00,000
	ख) रिजर्व एवं सरप्लस	3	19,67,73,203	16,86,83,841
(2)	**वर्तमान देयताएं अथवा देनदारियां**			
	क) व्यापार भुगतान योग्य अथवा देय	4	1,26,84,940	33,78,200
	ख) अन्य वर्तमान देनदारियां	5	27,98,163	15,26,986
	ग) अल्पावधि प्रावधान	6	55,26,919	18,90,081
	कुल		**71,77,83,225**	**67,54,79,108**
II	**परिसम्पत्तियां**			
	क) सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	7	23,68,567	30,44,508
	ख) अगोचर परिसम्पत्तियां	7	8,292	8,292
	ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	8	7,60,479	8,60,975
(2)	**चालू परिसम्पत्तियां**			
	क) नकद एवं नकद समतुल्य	9a	65,23,02,989	63,07,28,843
	ख) नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक बैलेंस	9b	2,00,00,000	-
	अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	10	4,23,42,898	4,08,36,490
	कुल		71,77,83,225	67,54,79,108
	वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 000533 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 011450
UDIN : 19011450 AAAABN 8492

(संजीव सक्सेना)
निदेशक
डीआईएन: 07545288

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन: 07556629

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

(डॉ. सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष
प्रचालनों से राजस्व	11	15,054,925	3,057,630
अन्य आय	12	51,746,023	44,378,770
कुल राजस्व		**66,800,948**	**47,436,400**
व्यय			
कर्मचारी लाभ व्यय	13	11,017,796	6,234,064
वित्त लागत	14	4,767	9,030
अवमूल्यन एवं परिशोधान व्यय	15	690,303	1,006,656
अन्य व्यय	16	17,626,971	7,035,260
कुल व्यय		**29,339,837**	**14,285,010**
असाधारण मद एवं कर से पूर्व लाभ		37,461,111	33,151,390
असाधारण मदें	17	185,170	4,259
कर से पूर्व लाभ		37,646,281	33,155,649
कर संबंधी व्यय			
(1) वर्तमान वर्ष		9,456,423	9,315,677
(2) पूर्ववर्ती वर्ष		100,496	176,423
वर्ष के लिए लाभ		28,089,362	23,663,549
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन	18		
(1) मूल		0.56	0.47
(2) डाइल्यूटिड		0.56	0.47
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	1		

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 000533 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 011450
UDIN : 19011450 AAAABN 8492

(संजीव सक्सेना)
निदेशक
डीआईएन: 07545288

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन: 07556629

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

(डॉ. सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष में	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	37,646,281	33,155,649
के लिए समायोजन :		
अवमूल्यन	690,303	1,006,656
ब्याज से आय	(51,709,455)	(44,347,835)
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व प्रचालन लाभ/(हानि)	**(13,372,871)**	**(10,185,530)**
कार्यशील पूंजी में बदलाव		
प्रचालन परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
पंजाब व सिंध बैंक में सावधि जमा (FD)	(20,000,000)	
अन्य चालू अथवा वर्तमान परिसम्पत्तियां	(1,352)	(8,552,216)
प्रचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
भुगतान योग्य व्यापार	9,306,740	2,147,176
अन्य वर्तमान देनदारियां	1,271,177	228,828
अल्पावधि प्रावधान	3,636,838	684,145
शुद्ध आय कर (भुगतान किया गया)/वापसी	(10,961,479)	(10,094,546)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(उपयोग में) (क)	**(30,120,947)**	**(25,772,143)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाह		
अचल परिसम्पत्तियों पर पूंजी व्यय	(14,362)	(48,644)
सावधि जमा पर ब्याज	51,709,455	44,347,835
सावधि जमा		
निवेश करने वाली गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(उपयोग में) (ख)	**51,695,093**	**44,299,191**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-	-
पंजाब व सिंधा बैंक में सावधि जमा		
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह/(उपयोग में) (ग)		
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़ोतरी/(कमी)	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़ोतरी/(कमी) (क + ख + ग)	21,574,146	18,527,048
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	630,728,843	612,201,795
वर्ष की समाप्ति पर नकद एवं नकद समतुल्य	**652,302,989**	**630,728,843**

संलग्न नोट वित्तीय विवरणों का आन्तरिक भाग बनाता है।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 011450
UDIN : 19011450 AAAABN 8492

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(संजीव सक्सेना)
निदेशक
डीआईएन: 07545288

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन: 07556629

(डॉ. सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड

नोट 1 : उल्लेखनीय एकाउन्टिंग नीतियां

नोट 1

1.1 कॉरपोरेट सूचना

(क) कम्पनी को दिनांक 19 अक्तूबर, 2011 को निगमित किया गया था। कम्पनी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक शत प्रतिशत कम्पनी है।

(ख) श्री सौरभ मुनि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के कर्मचारी हैं और वे कम्पनी के कार्यों को देख रहे हैं। इस बारे में न तो उन्हें अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है।

(ग) डॉ. सुधा मैसूर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कर्मचारी हैं जो कि कम्पनी के कार्यों को देख रही हैं। उनकी सैल्री, पैन्शन व लीव सैल्री कन्ट्रीब्यूशन का भुगतान IIHR बैंगलोर को किया जाता है।

(घ) कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी 100 (सौ) करोड़ रूपये है। जबकि जारी की गई, अंशदान की गई व भुगतान की गई शेयर पूंजी 50 (पचास) करोड़ रूपये है।

एकान्टिंग का आधार एवं वित्तीय विवरण तैयार करना

कम्पनीज (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में कम्पनी के इन वित्तीय विवरणों को भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) के अनुसार तैयार किया गया है। ऐतिहासिक लागत कनवेन्शन के तहत वास्तविक आधार पर इन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखा नीतियां पूर्ववर्ती वर्ष में अपनाई गई नीतियों जैसी हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

भारतीय स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धान्तों (GAAP) की पुष्टि में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की सूचित की गई मात्र में तथा सूचित आय एवं व्यय में अनुमान एवं धारणाएं बनाने की जरूरत होती है । प्रबंधन यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान मितव्ययी एवं उचित हैं। पुनः वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच भिन्नता तथा इन अनुमानों के कारण भिन्न परिणाम हो सकते हैं और अनुमानों को अवधियों में विचार किया जाता है जिनमें परिणाम ज्ञात हैं अथवा उन्हें लागू किया गया है।

1.3 नकद एवं बैंक बैलेंस

नकद के अंतर्गत हाथ में नकदी एवं विदेशी मुद्रा में नकद होना शामिल है। नकद समतुल्य अल्पावधि बैलेंस (तीन माह अथवा अधिग्रहण की तारीख से कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश होते हैं जो कि नकद की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तनीय होते हैं और इनके मान में परिवर्तन का गैर उल्लेखनीय जोखिम होता है।

1.4 अवमूल्यन

अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दरों एवं रीति के अनुसार घटती मूल्य विधि के आधार पर प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान खरीदी अथवा बेची गई परिसम्पत्ति के लिए अवमूल्यन अथवा मूल्यह्रास की गणना प्रो-रेटा आधार पर की गई है।

1.5 लीज़

लीज़ जहां लीज़ मद के स्वामित्व के सभी जोखिमों व लाभों को कमतर प्रभावी रूप से बनाये रखा जाता है, को ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज भुगतान को लीज अवधि पर एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ तथा हानि के विवरण में एक खर्च के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

1.6 राजस्व मान्यता

ब्याज आय के लिए नीति

सावधि जमा अथवा फ्लैक्सी जमा लेखा पर अर्जित ब्याज से प्राप्त राजस्व को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखकर एक समय अनुपात आधार पर विचार किया जाता है।

रायल्टी आय के लिए नीति

रायल्टी को लाइसेन्सिंग समझौते के देय आधार पर मान्यता दी जाती है और अर्जित किया जाता है।

लाइसेंस फीस के लिए नीति

लाइसेंस फीस को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जबकि संबंधित लाइसेंस समझौते अथवा करार के अनुसार लाइसेंस विशेष के बारे में लाइसेंसधारक को पूरी तकनीकी जानकारी, प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। लाइसेंस प्रदान करने के लिए होने वाला व्यय लाइसेंस की लागत (खर्च) के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की नीति

संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किए जाने पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने से प्राप्त राजस्व को मान्यता प्रदान की जाती है।

1.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं रूपांतरण

क) प्रारंभिक मान्यता पर विदेशी मुद्रा को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि को लागू करके दर्ज किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर, विदेशी मुद्रा वित्तीय मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में निर्धारित ऐतिहासिक लागत पर समाप्त दर तथा गैर वित्तीय मदों का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

ख) वित्तीय मदों के निपटान पर अथवा इनसे भिन्न दरों जिस पर इन्हें वर्ष के दौरान दर्ज किया गया था अथवा पूर्ववर्ती वित्तीय विवरणों में सूचित किया गया था, पर पाई गई वित्तीय मदों के निपटान पर उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं को उस वर्ष में जिसमें ये उत्पन्न हुई हैं, में आय अथवा खर्च के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

1.8 कर्मचारी लाभ

प्रोविडेन्ट फण्ड और ईएसआईसी के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते ।

चूंकि, कम्पनी का कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत कवर नहीं होता, इसलिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ग्रेच्युटी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

1.9 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

अचल परिसम्पत्तियों की लागत को संचित अवमूल्यन और हानि, यदि कोई है, को कम करके आंका जाता है। अचल परिसम्पत्तियों की लागत में उपयोग के लिए तैयार परिसम्पत्ति की तारीख तक अर्हक अचल परिसम्पत्ति के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज शामिल होता है और साथ ही उस तारीख तक अन्य आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं। अचल परिसम्पत्ति के जुड़े अनुवर्ती व्यय को केवल तभी कैपीटेलाइज्ड किया जाता है जब प्रदर्शन के पूर्ववर्ती आकलित मानक से आगे ऐसी परिसम्पत्तियों से भावी लाभों में एक वृद्धि में ऐसे व्यय परिणाम होते हैं।

1.10 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारिता औसत संख्या द्वारा कर अथवा टैक्स (असाधारण मद, यदि कोई है, के कर उपरांत प्रभाव सहित) के उपरांत लाभ/हानि को भाग करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना को प्रति शेयर मूल आय को उत्पन्न करने और इक्विटी शेयर की भारिता औसत संख्या जिसे सभी डाइल्यूटिड क्षमताशील इक्विटी शेयर के रूपांतरण पर जारी किया जा सका, के लिए इक्विटी शेयर की भारिता औसत संख्या द्वारा डाइल्यूटिड क्षमताशील इक्विटी शेयर से जुड़े व्यय अथवा आय में लाभांश, ब्याज और अन्य प्रभार के लिए कर (असाधारण मद, यदि कोई है, के कर उपरांत प्रभाव सहित) के उपरान्त लाभ/हानि को भाग करके की जाती है।

1.11 आय पर कर

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में जैसा कि निर्धारित है, वर्ष के लिए कर योग्य आय पर भुगतान योग्य कर राशि को वर्तमान कर माना जाता है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को समय अन्तराल में भावी कर परिणामों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है जो कि आय के लिए प्रस्तुत लाभ और वित्तीय विवरण के अनुसार लाभ के बीच होते हैं। आस्थगित कर को कर की दरों तथा लागू कर कानूनों का उपयोग करके अथवा रिपोर्टिंग तारीख पर बाद में लागू कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अन्तरालों के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। गैर अवशोषित अवमूल्यन तथा हानि के आगे जाने के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पत्ति को केवल तभी मान्यता प्रदान की जाती है यदि ऐसी परिसम्पत्तियों को हासिल करने में पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें उसकी सीमा तक आगे ले जाया जाता है कि इस बात की एक संगत सुनिश्चितता हो कि पर्याप्त रूप में भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसकी तुलना ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियों से होगी जिनकी वसूली की जा सकती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है यदि ऐसी वस्तुएं समान गवर्निंग कर कानूनों

द्वारा आय पर कर से संबंधित होती हैं और ऐसे सेट ऑफ के लिए कम्पनी में कानूनी प्रवर्तन अधिकार है। आस्थगित कर परिसम्पत्ति की समीक्षा उनकी वास्तविक क्षमता के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर की जाती है।

1.12 परिसम्पत्तियों की हानि

प्रत्येक बैलेंस शीट दिनांक पर परिसम्पत्तियों अथवा नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों के आगे जाने वाले मानों की समीक्षा हानि के लिए की जाती है। यदि हानि की मौजूदगी का कोई संकेत मिलता है तब ऐसी परिसम्पत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि इन परिसम्पत्तियों की आगे जाने वाली राशि इनकी वसूल की जाने वाली राशि से अधिक होती है तब हानि की पहचान की जाती है। वसूल की जाने वाली राशि निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक होती है। उपयोग में मूल्य का पता समुचित छूट कारक पर आधारित इनके वर्तमान मूल्य में भावी नकद प्रवाह में छूट देते हुए लगाया जाता है। जब ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पूर्ववर्ती एकाउन्टिंग अवधियों में किसी परिसम्पत्ति के लिए किसी प्रकार की हानि की पहचान की गई थी तब उसमें कमी आ सकती है, हानि के इस प्रकार के प्रत्यावर्तन की पहचान पुनः मूल्यांकित परिसम्पत्तियों को छोड़कर लाभ एवं हानि के विवरण में की जाती है।

1.13 प्रावधान एवं आकस्मिकता

जब कभी पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कम्पनी पर कोई वर्तमान कर्तव्य होता है तब एक प्रावधान की पहचान की जाती है और यह संभावित है कि संसाधानों का बाहर की ओर प्रवाह कर्तव्य के निपटान के लिए जरूरी होगा जिसके लिए एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभ को छोड़कर) में उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती और बैलेंस शीट दिनांक पर कर्तव्य को पूरा करने हेतु वांछित सर्वश्रेष्ठ अनुमान के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तारीख पर इनकी समीक्षा की जाती है और चालू सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु इनका समायोजन किया जाता है।

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 2 : शेयर पूंजी

विवरण	31.03.2020 की तारीख के अनुसार	31.03.2019 की तारीख के अनुसार
प्राधिकृत		
प्रति 10/- रूपये के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
निर्गम, पूर्वकृत और प्रदत्त		
प्रति 10/- रूपये के पूर्ण रूप से भुगतान किए गए 5,00,00,000 इक्विटी शेयर	500,000,000	500,000,000
कुल	**500,000,000**	**500,000,000**

(क) इक्विटी शेयर से सम्बद्ध शर्तें/अधिकार

कम्पनी में प्रति शेयर रूपये 10/- के समतुल्य मूल्य पर जारी इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट अथवा मत का पात्र है। कम्पनी के परिसमापन के मामले में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशि का वितरण करने के उपरान्त कम्पनी की शेष परिसम्पत्ति को पाने के हकदार होंगे। हितधारकों द्वारा धारण किए गए इक्विटी शेयर की संख्या के अनुपात में वितरण किया जाएगा।

(ख) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक समुच्चय शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों का विवरण :

क्र. सं.	शेयर धारक का विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
		शेयर की संख्या	शेयर की संख्या
1.	माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार (धारिता का प्रतिशत)	50,000,000 100.00 प्रतिशत	50,000,000 100.00 प्रतिशत

(ग) रिपोर्टाधीन अवधि के प्रारंभ एवं समाप्ति पर शेयरों की संख्या का मिलान :

विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	50,000,000	50,000,000
वर्ष की समाप्ति पर	50,000,000	50,000,000

नोट 3 : आरक्षित एवं अधिशेष अथवा सरप्लस

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
		शेयर की संख्या	शेयर की संख्या
1.	लाभ व हानि के विवरण के अनुसार सरप्लस पिछले वित्तीय विवरणों से आगे लाया गया शेष जमा : वर्ष के लिए लाभ	 168,683,841 28,089,362	 145,020,292 23,663,549
	कुल	196,773,203	168,683,841

नोट 4 : भुगतान योग्य व्यापार

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
	विविधा लेनदार : एमएसएमई के अलावा क) लाइसेंस फीस की भागीदारी - भाकृअनुप हिस्सा ख) लाइसेंस फीस की भागीदारी - संस्थान हिस्सा	 3,003,992 9,680,948	 1,870,400 1,507,800
	कुल	**12,684,940**	**3,378,200**

नोट 5 : अन्य चालू देयताएं

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
1.	सांविधिक भुगतान योग्य देय	179,924	38,696
2.	सुरक्षा जमा	172,900	122,900
3.	आसियान को भुगतान योग्य	1,423,999	1,312,890
4.	अन्य देयताएं	1,021,340	52,500
	कुल	**2,798,163**	**1,526,986**

नोट 6 : अल्पावधि प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार	दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार
1.	व्यय के लिए प्रावधान	5,526,919	1,890,081
	कुल	**5,526,919**	**1,890,081**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31.03.2020 की तारीख को नियत परिसम्पत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण

नोट 7 :

क्र. सं.	परिसम्पत्ति	समग्र ब्लॉक				अवमूल्यन				निवल ब्लॉक	
		01.04.2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान जमा	विलोपन/	31.03.2020 के अनुसार	01.04.2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान विलोपन	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2019 के अनुसार
	क) गोचर अथवा वास्तविक परिसम्पत्तियां										
1	कम्प्यूटर एवं एक्सेसरीज	1,160,567	-	-	1,160,567	1,077,508	52,460	-	1,129,968	30,599	83,059
2	फर्नीचर एवं फिक्सचर	4,463,034	6,100	-	4,469,134	3,250,473	315,083	-	3,565,556	903,578	1,212,561
3	कार्यालय उपकरण	2,941,125	8,262	-	2,949,387	2,684,471	118,449	-	2,802,920	146,467	256,654
4	बिजली स्थापन एवं उपकरण	1,397,560	-	-	1,397,560	1,015,929	98,804	-	1,114,733	282,827	381,631
5	भवन	1,714,880	-	-	1,714,880	604,277	105,507	-	709,784	1,005,096	1,110,603
	उप-योग	**11,677,166**	**14,362**	**-**	**11,691,528**	**8,632,658**	**690,303**	**-**	**9,322,961**	**2,368,567**	**3,044,508**
	ख) अगोचर या अवास्तविक परिसम्पत्तियां										
6	सॉफ्टवेयर	1,65,838	-	-	1,65,838	157,546		-	1,57,546	8,292	8292
	उप-योग	**165,838**	**-**	**-**	**165,838**	**157,546**	**-**	**-**	**157,546**	**8,292**	**8,292**
	समग्र योग (वर्तमान वर्ष)	**11,843,004**	**14,362**	**-**	**11,857,366**	**8,790,204**	**690,303**	**-**	**9,480,507**	**2,376,859**	**3,052,800**
	(पूर्ववर्ती वर्ष)	**11,794,360**	**48,644**	**-**	**11,843,004**	**7,783,548**	**1,006,656**	**-**	**8,790,204**	**3,052,800**	**4,010,812**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

नोट 8 : आस्थगित कर परिसम्पत्ति/देनदारी

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 के अनुसार
1.	**डब्ल्यूडीवी के लेखा पर**		
	कम्पनीज अधिनियम के अनुसार	2,376,859	3,052,800
	आयकर के अनुसार	5,398,471	6,147,607
	कम्पनीज अधिनियम की तुलना में आयकर की अधिकता	(3,021,612)	(3,094,807)
	कुल	**3,021,612**	**3,094,807**
	आस्थगित कर परिसम्पत्ति / 25.168 प्रतिशत	**760,479**	**860,975**
	लाभ व हानि के विवरण में मान्यता	**100,496**	**176,423**

नोट 9 क : नकद एवं नकद समतुल्य

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
1.	नकद एवं नकद समतुल्य		
	हाथ में नकद	-	-
	बैंकों में शेष		
	– चालू खातों अथवा में	32,302,989	10,728,843
	– सावधि जमा खातों में	620,000,000	620,000,000
	कुल (क + ख)	**652,302,989**	**630,728,843**

नोट 9 ख : नकद एवं नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक बैलेंस

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
1.	नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक बैलेंस (पंजाब व सिंध बैंक में सावधि जमा)	20,000,000	-
	कुल	**20,000,000**	-

नोट 10 : अन्य चालू परिसम्पत्तियां

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
1.	सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	39,815,970	34,590,803
2.	वापसी योग्य आयकर (A Y 2020-21)	1,505,056	778,869
3.	आयकर वापसी देय (A Y 2019-20)	778,869	4,922,117
4.	पूर्व-भुगतान व्यय	23,070	29,953
5.	आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	575	1,575
6.	जीएसटी वसूली योग्य	219,358	513,173
	कुल	**42,342,898**	**40,836,490**

नोट 11 : प्रचालनों से राजस्व

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
1.	लाइसेंस फीस	14,976,950	2,704,000
2.	परामर्शी फीस	77,975	353,630
	कुल	**15,054,925**	**3,057,630**

नोट 12 : अन्य आय

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
1.	सावधि जमा पर ब्याज	51,645,797	43,548,390
2.	आयकर वापसी पर ब्याज	63,658	799,445
3.	विविध	36,568	30,935
	कुल	**51,746,023**	**44,378,770**

नोट 13 : कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
	वेतन		
1.	स्थाई कर्मचारियों को	4,200,000	1,192,582
2.	अनुबंधीय कर्मचारियों को	3,634,410	2,185,584
3.	एजेन्सी के माध्यम से कार्य पर रखे गए कर्मचारियों को	3,123,087	2,817,168
4.	मोबाइल/टेलिफोन व्यय की प्रतिपूर्ति	60,299	35,070
5.	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	-	3,660
	कुल	**11,017,796**	**6,234,064**

नोट 14 : वित्त लागत

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
1.	टीडीएस पर ब्याज	114	874
2.	जीएसटी पर ब्याज	-	1,846
3.	बैंक प्रभार	4,653	6,310
	कुल	**4,767**	**9,030**

नोट 15 : अवमूल्यन एवं परिशोधान व्यय

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
1.	अवमूल्यन	690,303	1,006,656
	कुल	**690,303**	**1,006,656**

नोट 16 : अन्य व्यय

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
अन्य प्रत्यक्ष लागत			
1.	लाइसेंस फीस की लागत	12,043,940	2,123,200
अन्य अप्रत्यक्ष लागत			
1.	प्रशासनिक व्यय	128,210	88,442
2.	किराया, दरें एवं कर	174,804	174,804
3.	कॉमन सेवा प्रभार	707,682	633,501
4.	पूर्व अवधि प्रभार	-	213,976
5.	विद्युत एवं जल	534,797	504,740
6.	प्रिन्टिंग एवं स्टेशनरी	246,816	217,181
7.	संचार	15,635	23,483
8.	वाहन संबंधी व्यय	771,968	694,986
9.	यात्रा	515,120	294,281
10.	विनिमय उतार-चढ़ाव	111,109	82,591
11.	विज्ञापन	704,291	622,745
12.	फीस एवं अंशदान	17,739	72,001
13.	मरम्मत एवं रखरखाव		
	- अन्य	799,765	527,091
14.	कानूनी एवं प्रोफेशनल प्रभार	480,412	2,72,360
15.	आन्तरिक ऑडिट फीस	30,450	30,261
16.	सचिवीय ऑडिट फीस	1	1
17.	ऑडिटर्स को मानदेय		
	- ऑडिट फीस	46,000	46,000
18.	विविध	298,232	413,616
	कुल	**17,626,971**	**7,035,260**

नोट 17 : अभूतपूर्व मदें

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
1.	प्रावधान बट्टे खाता	185,170	4,259
	कुल	**185,170**	**4,259**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

अन्य देनदारियां

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 के अनुसार
1.	अलंकित लिमिटेड	266,439
2.	अर्श बायोटेक प्रा. लि.	52,500
3.	फ्रण्टलाइन बिजनेस साल्यूशन्स प्रा. लि.	89,322
4.	निर्मल निरेश एंड कम्पनी	452,879
5.	के एंड एस पार्टनर्स	34,200
6.	भाकृअनुप - सिफेट	56,000
7.	महाजीत एंड सन्स	70,000
	कुल	**1,021,340**

लाइसेंस फीस की भागीदारी - संस्थान का हिस्सा

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार
1.	केन्द्रीय मीठा जलजीव पालन संस्थान (CIFA)	700,000
2.	सीआईआरएस	70,000
3.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI), शिमला	140,000
4.	केन्द्रीय कंदाकार फसल अनुसंधान संस्थान (CTCRI)	350,000
5.	भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद	700,000
6.	भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान (IISR), इन्दौर	700,000
7.	भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (IVRI), इज्जतनगर	1,400,000
8.	नवसारी	746,865
9.	भाकृअनुप - राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (NDRI), करनाल	6,47,500
10.	एनआईएएनपी	525,000
11.	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र (NRCG), पुणे	371,000
12.	गन्ना प्रजनन संस्थान (SBI), कोयम्बटूर	210,000
13.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (VPKAS), अल्मोड़ा	420,000
14.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली	2,278,500
15.	खुरपका-मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय	367,500
16.	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधान ब्यूरो (NBPGR), नई दिल्ली	54,583
	कुल	**9,680,948**

एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड (AgIn)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

सांविधिक देय भुगतान योग्य

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार
1.	आरसीएम के तहत भुगतान योग्य जीएसटी	43,309
2.	वाहन किराये पर लेने पर टीडीएस	2,360
3.	रखरखाव पर टीडीएस	3,770
4.	मानवशक्ति आपूर्ति पर टीडीएस	9,331
5.	प्रिन्टिंग पर टीडीएस	3,000
6.	प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस	12,700
7.	प्रशिक्षण कार्यक्रम पर टीडीएस	3,000
8.	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर टीडीएस	80,500
9.	जीएसटी भुगतान योग्य पर टीडीएस	21,954
	कुल	**179,924**

बैंक बैलेंस

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03. 2020 के अनुसार
1.	सिंडिकेट बैंक	30,725,919
2.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,577,070
	कुल	**32,302,989**

नोट 18 : प्रति इक्विटी शेयर अर्जन

विवरण	दिनांक 31.03.2020 के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 के अनुसार
लाभ व हानि के उपलब्ध विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ	28,089,362	23,663,549
इक्विटी शेयरधारक	50,000,000	50,000,000
इक्विटी शेयर की भारिता औसत संख्या	50,000,000	50,000,000
क. प्रत्येक रूपये 10/- का प्रति शेयर मूल अर्जन	**0.56**	**0.47**
ख. प्रत्येक रूपये 10/- का प्रति शेयर डाइल्यूटिड अर्जन	**0.56**	**0.47**

नोट 19 : आकस्मिक देनदारी

विवरण	दिनांक 31. 03.2020 के अनुसार	दिनांक 31.03. 2019 के अनुसार
के संबंध में विद्यमान आकस्मिक देनदारी		
क) कम्पनी के विरूद्ध दावा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		

विवरण	दिनांक 31.03.2020 के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 के अनुसार
– सामग्री एवं सेवा कर मामले (GST)	शून्य	शून्य
– आयकर मामले	शून्य	
– अन्य मामले	शून्य	शून्य
श्रीमती निधि गौड़ा का वेतन	3,157,917	2,122,836
ख) पूंजी लेखा पर लागू किए जाने वाले अनुबंध शेष की अनुमानित राशि	शून्य	शून्य
ग) अन्य राशि जिसके लिए कम्पनी की आकस्मिक देनदारी है	शून्य	शून्य

नोट 20 : पार्टी लेनदेन से संबंधित

i) संबंधित पक्षों अथवा पार्टी का नाम जहां नियंत्रण विद्यमान है और संबंधित पक्षों जिनके साथ लेनदेन किया गया और उनसे संबंध

क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/कम्पनी पर उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले वैयक्तिक

- डॉ. त्रिलोचन महापात्र, निदेशक
- श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक
- श्री बिम्बाधर प्रधान, निदेशक
- श्री अशोक महादेव राव दलवाई, निदेशक
- श्री प्रवीण मलिक, निदेशक
- डॉ. संजीव सक्सेना, निदेशक
- श्रीमती सुधा मैसूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- सुश्री धृति मदान, कम्पनी सचिव
- श्रीमती निधि गौड़ा, कम्पनी सचिव
- श्री सौरभ मुनि, मुख्य वित्त अधिकारी

वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन के संबंध में खुलासा

क्र. सं.	विवरण	सम्बद्धता	दिनांक 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
1.	प्रबंधकीय मानदेय			
	– श्रीमती सुधा मैसूर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	4,200,000	-
	– सुश्री धृति मदान	कम्पनी सचिव	660,000	299,794

नोट 21 : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act, 2006) के तहत परिभाषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय का विवरण

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 1022 (ई) जारी की गई जिसमें सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान योग्य राशि के संबंध में निश्चित खुलासा करने के

संबंध में खुलासा किया गया है। तदनुसार, ऐसे उद्यमों को भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में वेंडर्स से प्राप्त सूचना के आधार पर वित्तीय विवरण में खुलासा किया गया है। इस संबंध में जरूरी सूचना को यहां प्रस्तुत किया गया है :

विवरण	दिनांक 31.03.2020 के अनुसार	दिनांक 31.03.2019 के अनुसार
किसी को भुगतान नहीं की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज		
– मूल		
– ब्याज		
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियुक्त तारीख से आगे आपूर्तिकर्ताओं को की गई भुगतान राशि के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (the act) की धारा 16 के संबंध में खरीदकर्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि	-	-
भुगतान करने (जिसे वर्ष के दौरान नियुक्त तारीख से आगे भुगतान नहीं किया गया) में हुई देरी की अवधि के लिए देय ब्याज एवं भुगतान योग्य राशि लेकिन उक्त अधिनियम के तहत इसमें निर्दिष्ट ब्याज को शामिल नहीं किया गया।	-	-
प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अर्जित ब्याज और भुगतान नहीं की गई शेष राशि	-	-
जब तक लघु उद्यम को वास्तव में देय ब्याज का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक अनुवर्ती वर्षों में भी पुन: ब्याज बकाया देय और भुगतान योग्य राशि	-	-

नोट 22 : आस्थगित कर देनदारी/परिसम्पत्ति

कम्पनी द्वारा इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ''आय पर कर के लिए एकाउन्टिंग'' पर एएस-22 का अनुपालन किया जा रहा है। आस्थगित परिसम्पत्ति को मान्यता प्रदान की जाती है और उसे केवल उस सीमा तक आगे ले जाया जाता है जहां यह वर्च्युल निश्चितता हो कि परिसम्पत्ति भविष्य में मूर्त रूप लेगी।

नोट 23 : पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को एकत्रित किया गया है अथवा पुन: वर्गीकृत किया गया है जहां इन्हें वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के सादृश्य करना जरूरी था।

समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
(एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी)
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस
फर्म पंजीकरण संख्या: 000533 एन

निदेशक मण्डल की ओर से
(एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लि.)

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार :
सदस्यता संख्या: 011450
UDIN : 19011450 AAAABN 8492

(संजीव सक्सेना)
निदेशक
डीआईएन: 07545288

(त्रिलोचन महापात्र)
निदेशक
डीआईएन: 07556629

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 सितम्बर, 2020

(डॉ. सुधा मैसूर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
PAN:ABNPS0707N

(धृति मदान)
कम्पनी सचिव
A-27642

(सौरभ मुनि)
मुख्य वित्त अधिकारी
PAN : AWKPM3684Q

S. C. VARMA AND CO.
Chartered Accountants
A-60, NDSE, Part-INew Delhi - 110049,
Tel.: 24648247, 24649845
Email : scvarma@scvandco.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण,
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़,
नई दिल्ली

वित्तीय विवरणों पर ऑडिट रिपोर्ट

विचार अथवा दृष्टिकोण

हमने **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़** ('दि कम्पनी') के संशोधित वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण अथवा लेखा परीक्षा की है जिनमें पीडी एवं पदेन, एमएबी - IV कार्यालय द्वारा उठाए गए ऑडिट पर्यवेक्षणों को शामिल करने के लिए संशोधान किया गया था। हमने एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ ('दि कम्पनी') के संशोधित वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण अथवा लेखा परीक्षा की है जिसमें कि 31 मार्च, 2020 तक की संलग्न बैलेंस शीट, वर्ष की समाप्ति पर लाभ व हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों व अन्य स्पष्टीकारक सूचना (जिसे यहां वित्तीय विवरण कहा गया है) का सारांश सम्मिलित है।

हमारे विचार में तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और हमारे पास उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण द्वारा वांछित रीति में कम्पनी अधिनियम 2013 ('दि एक्ट') द्वारा प्रदान की गई जरूरी जानकारी प्रदान की गई और साथ ही दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार कम्पनी के मामलों और इसी तारीख पर समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसरण में एक सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रदान किया गया ।

मत का आधार

हमने अधिनियम (SAs) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा का कार्य किया। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी अपनी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खण्ड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी का पुन: वर्णन करने की है। अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से जुड़ी स्वतंत्र जिम्मेदारियों के साथ मिलकर इन्स्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी नीतिशास्त्र आचरण के अनुसरण में हम स्वतंत्र कम्पनी है और इसके तहत हमने इन्स्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी नीतिशास्त्र आचरण और इनकी आवश्यकताओं के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य हासिल किए हैं वह वित्तीय विवरणों पर हमारे ऑडिट मत के लिए पर्याप्त एवं समुचित आधार हैं।

वित्तीय विवरणों के अलावा सूचना एवं उस पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट

कम्पनी का निदेशक मण्डल अपनी रिपोर्ट (यहां 'बोर्ड की रिपोर्ट' कहा गया है) को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉरपोरेट गवर्नेंस तथा हितधारक की जानकारी के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और इस पर हमारे ऑडीटर्स की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार अथवा मत में बोर्ड की रिपोर्ट शामिल नहीं की जाती और हम किसी भी रूप में आश्वासन निष्कर्ष को प्रकट नहीं करते।

वित्तीय कथन की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ना है और ऐसा करने में अपनी ऑडिट रिपोर्ट के कोर्स के दौरान हासिल की गई अपनी जानकारी अथवा वित्तीय कथनों के साथ बोर्ड रिपोर्ट में सामग्री की असंगतता है अथवा सामग्री का गलत अनुमान प्रकट होता है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि बोर्ड की रिपोर्ट में सामग्री का गलत अनुमान होता है तब हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की जरूरत है। हमने इस संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की उत्तरदायिता

कम्पनी अधिनियम 2013 ('दि एक्ट') की धारा 134 (5) के संबंध में वर्णित मामलों के लिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में कम्पनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है जो विनिर्दिष्ट लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के तदनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही स्थिति दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के साथ तारतम्य में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और किसी भी प्रकार की धोखाधाड़ी अथवा अन्य विसंगति से बचने एवं उसे पकड़ने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रख-रखाव; समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; न्यायोचित एवं सटीक निर्णय तथा अनुमान लगाना; पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का क्रियान्वयन एवं रख-रखाव; करना शामिल है जिनका प्रचालन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था, जो कि कम्पनी की सही एवं वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं तथा धोखाधाड़ी अथवा चूक के कारण तत्वों का गलत अनुमान लगाने की संभावना से रहित है।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कम्पनी की क्षमता का 'गोइंग कनसर्न (Going Concern) अर्थात उन्नतिशील व्यवसाय' के रूप में बने रहने, गोइंग कनसर्न से जुड़े मामलों का खुलासा करने जैसा कि लागू है, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है और इसमें साथ ही ऑपरेशन को रोकने अथवा कोई वास्तविक विकल्प नहीं होने में कम्पनी को नष्ट करने के आशय के बिना लेखा के विचारणीय आधार का उपयोग किया गया।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखने के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए ऑडिटर्स की जिम्मेदारी

- हमारा उद्देश्य इस बात के वांछनीय आश्वासन हासिल करना है कि धोखाधाड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्या सम्पूर्णता में वित्तीय विवरण सामग्री के गलत अनुमान से मुक्त है। इसके अलावा हमारा उद्देश्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। वांछनीय आश्वासन केवल

आश्वासन का उच्च स्तर होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है जिसकी लेखा परीक्षा का आयोजन एसए के अनुसरण में किया गया, के द्वारा हमेशा ही विद्यमान रहने पर सामग्री के गलत विवरण का पता लगाया जाएगा। गलत अनुमान धोखाधाड़ी अथवा त्रुटि से उभर सकता है और सामग्री पर निजी तौर पर अथवा सामूहिक तौर पर विचार किया जाता है। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए यूजर्स के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

- एसए के अनुसरण में ऑडिट के भाग के तौर पर, हमने पेशेवर निर्णय को अपनाया और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संशयवाद अथवा अविश्वास का रख-रखाव किया। साथ ही हमने निम्न कार्य भी किया :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों भले ही वे धोखाधाड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट कार्यविधि की डिजाइन तैयार करना एवं उसका निष्पादन करना और साथ ही हमारे मत के लिए एक आधार प्रदान करने में पर्याप्य एवं समुचित ऑडिट साक्ष्य हासिल करना। धोखाधाड़ी के कारण सामग्री के गलत अनुमान का पता नहीं लगा पाने के परिणामस्वरूप जोखिम त्रुटि से उपजे परिणाम की तुलना में कहीं उच्चतर होता है क्योंकि धोखाधाड़ी में आपसी मिली-भगत, धोखाधाड़ी, जानबूझकर किया गया विलोपन, गलत प्रतिनिधित्व अथवा आन्तरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- ऑडिट कार्यविधि की डिजाइन जो कि परिस्थितियों में उपयुक्त होती है, करने में ऑडिट से संबंधित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ हासिल करना। अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के अंतर्गत, हम इस तथ्य पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण को चलाने की प्रभावशीलता है।

- प्रबंधन द्वारा किए गए खुलासे से जुड़े लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता तथा उपयोग की गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

- लेखा के आधार पर तथा हासिल किए गए ऑडिट साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा गोइंग कनसर्न अथवा उन्नतिशील व्यवसाय के उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना भले ही मौजूद सामग्री की अनिश्चितता ऐसी घटनाओं अथवा परिस्थितियों से जुड़ी हो जो कि एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में जारी बने रहने में कम्पनी की क्षमता पर उल्लेखनीय शक डाल सके। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तब हमें वित्तीय विवरणों में किए गए खुलासे और यदि ऐसा खुलासे अपर्याप्त हैं, तब हमें अपने मत में संशोधान करने के लिए अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे निष्कर्ष अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां एक उन्नतिशील व्यवसाय के रूप जारी रहने में कम्पनी के समक्ष बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

- खुलासों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरणों द्वारा निर्धारित लेन-देन और आयोजनों का इस रीति में प्रतिनिधित्व किया गया है जिससे उचित प्रस्तुतिकरण हासिल किया जाता है, का मूल्यांकन करना।

भौतिकता, वित्तीय विवरण वैयक्तिक अथवा सामूहिक रूप में गलत विवरण का वेग होती है जो कि संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों की यथोचित जानकारी योग्य यूजर के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम i) अपने ऑडिट कार्य के स्कोप की योजना तैयार करने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; तथा ii) वित्तीय विवरणों में चिन्हित किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के बीच, योजनाबद्ध अवसर और ऑडिट तथा उल्लेखनीय ऑडिट परिणामों के समय के बीच गवर्नेंस से जुड़े आरोप का भी संचार करते हैं जिसमें कि आन्तरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय कमियां भी शामिल हैं जिनकी हमने अपने ऑडिट के दौरान पहचान की।

साथ ही हम किसी कथन के साथ गवर्नेंस से जुड़े आरोप भी उपलब्ध कराते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नीतिशास्त्र आवश्यकताओं के साथ संकलित किया है और सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ इनका संचार करते हैं जिनके द्वारा हमारी स्वतंत्रता पर यथोचित तरीके से सहन करने के लिए सोचा जाए और जहां कहीं लागू है, वहां संबंधित सुरक्षा के बारे में सोचा जाए।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) में वांछित है, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   - हमने वे सभी सूचनाएं व विवरण प्राप्त किए जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक थे।
   - हमारी राय में कानून के अनुसार आवश्यक लेखा के उचित खाते कम्पनी द्वारा रखे गए, जैसा कि इन खातों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है।
   - इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ व हानि तथा नकदी प्रवाह का लेखा-जोखा अथवा विवरण लेखा बही के अनुरूप है।
   - हमारे मत में उपरोक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों का अनुपालन करते हैं।
   - दिनांक 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के सभी निदेशकों द्वारा दिए गए लिखित प्रतिवेदनों और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को कम्पनी का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164 (2) के संबंध में किसी निदेशक की नियुक्ति किए जाने हेतु अयोग्य नहीं है ।
   - कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के संबंध में 'अनुलग्नक क' में हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट से संबंधित है। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर गैर संशोधित मत प्रकट किया गया है।
   - अधिनियम की धारा 197 (16) जैसा कि संशोधित है, की जरूरतों के अनुसरण में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में

हमारे मत अथवा दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी में तथा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कम्पनी द्वारा अदा किया गया मानदेय अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है। किसी भी निदेशक को अदा किया गया मानदेय अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा धारा 197 (16) के तहत अन्य कोई विवरण निर्धारित नहीं किया गया है जिस पर कि यहां हमारे द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी देने की जरूरत है।

- कम्पनी (ऑडिट एवं आडीटर्स) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में तथा हमारी श्रेष्ठ जानकारी और हमें उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :
    - कम्पनी में किसी प्रकार की मुकदमेबाजी लंबित नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो;
    - ऐसा कोई भी व्युत्पन्न अनुबंध जिससे कोई तात्विक दृष्टव्य नुकसान हो, सहित कम्पनी का कोई दीर्घावधि अनुबंध नहीं है;
    - ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फंड को स्थानांतरित करने की जरूरत हो ;

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज (ऑडीटर्स रिपोर्ट) आदेश 2016 (दि ऑर्डर) में वांछित है, हमने आदेश के पैरा 3 व 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक कथन को **'अनुलग्नक B'** में प्रस्तुत किया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार मामलों पर यह रिपोर्ट **'अनुबंध-C'** के रूप में संलग्न है।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.09.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अनुलग्नक - A

(एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के खण्ड 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 (।) (f) में संदर्भित)

कम्पनीज अधिनियम 2013 (दि एक्ट) की धारा 143 की उप-धारा 3 की धारा (i) के तहत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों की अपनी ऑडिट के साथ मिलकर दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार **एग्रीनोवेट (AgIn) इंडिया लिमिटेट ("दि कम्पनी")** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इंस्ट्रिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर दिशानिर्देश नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आन्तरिक नियंत्रण के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने और उसका रख रखाव करने के लिए कम्पनी का प्रबंधन उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में शामिल है : पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, क्रियान्वयन एवं रख-रखाव जो कि अपने व्यवसाय के उचित तथा प्रभावी तरीके से आयोजन सुनिश्चित करने हेतु कुशलता से चलाई जा रही थी। साथ ही इसमें जैसा कि कम्पनीज अधिनियम, 2013 में वांछित है, कम्पनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधाड़ी तथा त्रुटियों से सुरक्षा एवं उनका पता लगाना, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियत्रण के बारे में अपना विचार प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इंस्ट्रिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी और कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले लेखा परीक्षा पर मानदण्ड और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण ('मार्गदर्शन नोट') के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसरण में अपनी लेखा परीक्षा को आयोजित किया । यह इंस्ट्रिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी एवं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट दोनों के लिए लागू आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट की सीमा तक लागू है। उन मानदण्डों तथा मार्गदर्शन नोट में आवश्यकता है कि हम वांछनीय आश्वासन हासिल करने में ऑडिट की योजना और निष्पादन में नीतिशास्त्र जरूरतों का अनुपालन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी और रख रखाव किया गया था और यदि ऐसे नियंत्रण को सभी सामग्री के संबंध में प्रभावी ढ़ंग से संचालित किया गया था।

हमारी लेखा परीक्षा अथवा ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा इसकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य हासिल करने में कार्यविधि का पालन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा अथवा ऑडिट में शामिल था : वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ हासिल करना, विद्यमान कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की डिजाइन और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता की डिजाइन तैयार करना, जांच करना तथा मूल्यांकन करना। चयनित कार्यविधि लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर थी जिसमें धोखाधाड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय कथनों के गलत अनुमानों के जोखिमों का मूल्यांकन करना शामिल था।

हमें यह विश्वास है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे ऑडिट विचार के लिए आधार प्रदान करने में हमारे द्वारा हासिल किए गए ऑडिट साक्ष्य पर्याप्त एवं समुचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसका डिजाइन इस प्रकार तैयार की गई जिससे आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसरण में बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय कथनों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्रदान किया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियां एवं कार्यविधियां शामिल हैं :

1. रिकॉर्ड का रखरखाव करने के संबंध में जिनका कि यथोचित विवरण हो, जो सटीक एवं उचित तरीके से कम्पनी की परिसम्पत्तियों के लेन देन और प्रकृति को दर्शाता हो।
2. यथोचित आश्वासन प्रदान करना कि आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसरण में वित्तीय कथनों को तैयार करने की अनुमति देने में अनिवार्यता के रूप में लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है। तथा कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय को कम्पनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकार के अनुसरण में ही किया जा रहा है; तथा
3. कम्पनी की परिसम्पत्तियों जिनका कि वित्तीय कथनों पर प्रभाव हो सकता है, का अनधिकृत अधि ग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा समय से पता लगाने के बारे में यथोचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण जिनमें मिलीभगत की संभावना अथवा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवर-राइड, हो सकने वाली नहीं पहचानी गई त्रुटि अथवा धेखाधाड़ी के कारण सामग्री के गलत अनुमान अथवा कथन शामिल है। इसके साथ ही, जोखिम होने पर भावी अवधियों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के पूर्वानुमान शामिल हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त बन सकते हैं अथवा नीतियों अथवा कार्यविधियों के अनुपालन की डिग्री अपघटित हो सकती है।

मत अथवा दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण में, सभी प्रकार के मामलों में कम्पनी में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण को 31 मार्च, 2020 के अनुसार प्रभावी तरीके से संचालित किया जा रहा था। इनका आधार इंस्ट्टियूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण मानदण्ड था।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.09.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध - B

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा विवरणों पर एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के समसंख्यक दिनांक के पत्र के संदर्भ में अनुबंध 'B' प्रस्तुत है। हमारी रिपोर्ट है कि :

i) क) कम्पनी द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड का रख-रखाव किया गया है;

ख) कम्पनी की नियत परिसम्पत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई।

ग) कम्पनी के पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है।

ii) हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कोई इन्वेंटरी तैयार नहीं की गई, इसलिए पैराग्राफ 3 (ii) के तहत रिपोर्ट किया जाना लागू नहीं है।

iii) (क) हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 ('दि एक्ट') की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कम्पनियों, फर्मों सीमित देनदारी भागीदारी अथवा अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार का सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (a) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(ख) कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध बॉडीज कारपोरेट को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है। इसलिए, मूल राशि का पुन: भुगतान करने के संबंध में आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (b) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(ग) कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में सूचीबद्ध बॉडीज कारपोरेट को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है और नब्बे दिनों से अधिक समय की कोई ओवरडयू राशि नहीं है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) (c) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

iv) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा धारा 185 एवं 186 के तहत शामिल किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी गई इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

v) कम्पनी ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi) हमारी राय में तथा कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) (क) के तहत कम्पनीज (लागत रिकॉर्ड एवं ऑडिट) नियमावली, 2014 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा लागत रिकॉर्ड का रख रखाव करने की जरूरत निर्धारित नहीं की गई है।

vii) क) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और साथ ही कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कम्पनी द्वारा समुचित एथारिटीज के पास वर्ष के दौरान प्रोवीडेन्ट फण्ड, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, कस्टम डयूटी, मूल्य वर्धित कर, सेस तथा अन्य सांविधिक देय सहित सभी अविवादित सांविधिक देय के संबंध में लेखा पुस्तिका में काटी गई अथवा अर्जित की राशि को नियमित रूप से जमा कराया गया है। जैसा कि हमें बताया गया है, कम्पनी में कर्मचारियों के राज्य बीमा और एक्साइज डयूटी तथा जीएसटी के संबंध में किसी प्रकार का देय बकाया नहीं है। कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, देय तिथि की तारीख से छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च, 2020 के दिन तक कम्पनी के ऊपर प्रोवीडेन्ट फण्ड, आयकर, बिक्री कर, सम्पदा कर, सेवा कर, कस्टम डयूटी, मूल्य वर्धित कर, सेस एवं अन्य सांविधिक देय बकाया नहीं है।

ख) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, सेवा कर तथा अन्य सांविधिक देय, जैसा लागू है, के मामले में कोई विवादित राशि का भुगतान करना बकाया नहीं है।

viii) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार अथवा ऋणदाता की कर्जदार अथवा ऋण का पुनः भुगतान करने के मामले में डिफाल्टर अथवा दोषी नहीं है।

ix) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा प्रारंभिक/पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपायों सहित) अथवा आवधिक ऋण के माध्यम से किसी प्रकार की निधि एकत्रित नहीं की गई।

x) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कम्पनी की ओर से अथवा कम्पनी के साथ किसी प्रकार की धोखाधाड़ी नहीं पाई गई।

xi) सरकारी कम्पनियों को कुछ निश्चित छूट देते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालयों की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियिम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 (xi) के तहत कम्पनी की रिपोर्ट करना लागू नहीं होता।

xii) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कम्पनी कोई निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश का पैराग्राफ 3 (xii) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

xii) संबंधित पक्षों के साथ सभी प्रकार का लेन-देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 व 188 के अनुपालन में किया जाता है और जैसा कि लागू लेखा मानकों में वांछनीय है, इसका वर्णन वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

xiv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा शेयरों अथवा पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से रूपांतरित डिबेन्चर का किसी प्रकार का निजी प्लेसमेंट अथवा पसंदीदा आवंटन नहीं किया गया।

xv) कम्पनी द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने अपने साथ जुड़े निदेशकों अथवा व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर नकदी लेन देन नहीं किया ।

xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.09.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-B

(समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी एवं विनियामक जरूरतों के खण्ड पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

1	क्या कम्पनी द्वारा फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए क्रमशः टाइटल/लीज डीड को क्लीयर कर दिया गया है? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का वह क्षेत्र बताएं जिसके लिए टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं हैं।	दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार कोई फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि नहीं है।
2	क्या ऋण/ब्याज आदि को छूट देने अथवा बट्टे खाते डालना का कोई मामला है? यदि हां, तो इसका कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।	इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।
3	क्या सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसम्पत्ति एवं तीसरे पक्ष के पास प्रविष्टियों के संबंध में उचित रिकॉर्ड रखा गया है?	कम्पनी में इस प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं है और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः यह लागू नहीं होता।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, हमारी राय में तथा हमें ज्ञात जानकारी और हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, किसी प्रकार की कार्रवाई करना अपेक्षित नहीं है और इसका कम्पनी के लेखा तथा वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.09.2020

S. C. VARMA AND CO.
Chartered Accountants
A-60, NDSE, Part-INew Delhi - 110049,
Tel.: 24648247, 24649845
Email : scvarma@scvandco.com

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के लेखों की लेखा-परीक्षा (ऑडिट) की है । साथ ही यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है

कृते **एस.सी. वर्मा एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 000533 एन

(एस.सी. वर्मा)
भागीदार
सदस्यता संख्या : 011450

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.09.2020

प्रपत्र सं.: एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) तथा कम्पनी नियमावली, 2014 के नियम 9 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN : U01400DL2011GOI226486
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली-110 012

हमने, लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन तथा **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** (यहां 'कम्पनी' कहा गया है) द्वारा अपनाई गई बेहतर कॉरपोरेट रीतियों के अनुपालन में सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया। सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉरपोरेट आयोजनों/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित आधार मिला।

मूल्यांकन के दौरान हमने कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, पेपरों, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रें तथा प्रस्तुत रिटर्न और कम्पनी द्वारा रख-रखाव किए गए रिकॉर्ड का सत्यापन किया। इसके अलावा हमने सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, इसके एजेन्टों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का भी सत्यापन किया। दिनांक 31 मार्च, 2020 (लेखा परीक्षा अवधि) को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान एतद्द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में हमारा मत है कि कम्पनी द्वारा नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का सामान्तया अनुपालन किया गया है तथा साथ ही कम्पनी में एक उचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन क्रियाविधि का अनुपालन किया जाता है जिसके बारे में नीचे बताया गया है ।

हमने, दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की पुस्तकों अथवा बही, मिनट पुस्तकों, प्रपत्रें, प्रस्तुत रिटर्न तथा रख-रखाव किए गए अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की।

i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (**दि एक्ट**) तथा समय-समय पर संशोधित नियमावली;
ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा इस पर निरूपित नियमावली
~~iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1956 एवं इसके तहत निरुपित नियम एवं बॉयलॉज;~~
~~iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA) तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य व्यावसायिक ऋण की सीमा के तहत नियमावली एवं नियम;~~
~~v) भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (SEBI Act) के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम एवं दिशनिर्देश :~~
~~क) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर तथा टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011;~~
~~ख) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015;~~

~~ग) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी एवं खुलासा आवश्यकताओं का मामला) विनियमन, 2009;~~

~~घ) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014;~~

~~ड) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का मामला एवं सूचीकरण) विनियमन, 2008;~~

~~च) कम्पनीज अधिनियम तथा उपभोक्ताओं के संबंध में भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (मामला एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्टों के रजिस्ट्रार) विनियमन, 2013~~

~~छ) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर को सूची से हटाना) विनियमन, 2009; एवं~~

~~ज) भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बॉयबैक) विनियमन, 1998~~

साथ ही हमने, निम्नलिखित के संबंध में उपयुक्त धाराओं का अनुपालन करते हुए जांच की :-

i) दि इंस्टिटयूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सांविधिक मानदण्ड

~~ii) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा सेबी के साथ कम्पनी द्वारा किए गए समझौतों का सूचीकरण (दायित्वों तथा खुलासा जरूरतों का सूचीकरण) विनियमन, 2015~~

iii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2003

iv) केन्द्रीय सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों (CPSEs) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश

v) मनी लॉउण्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी द्वारा सामान्यतया निम्नलिखित आकलन होने पर उपरोक्त वर्णित अधिनियम, कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों एवं मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है :-

1. कम्पनीज की नियमावली 4 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 149 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसार कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए, हालांकि, कम्पनी द्वारा किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त नहीं किया गया है।

2. कम्पनीज नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 149 (निदेशक की नियुक्ति एवं योग्यता) के अनुसार जैसा कि कम्पनी द्वारा वांछित संख्या में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है, इसलिए रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी का निदेशक मण्डल विधिवत तरीके से गठित नहीं किया गया।

3. धारा 149 (8) के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी द्वारा कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक बुलाई जाती है, हालांकि, कम्पनी द्वारा ऐसी कोई अलग बैठक नहीं बुलाई गई क्योंकि कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

4. ऑडिट समिति, नामांकन एवं मानदेय समिति का गठन कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 177, 178 एवं 135 के अनुसार नहीं किया गया था।

5. धारा 161 के अनुसार, निदेशक मण्डल को ऐसे किसी व्यक्ति जो कि अपर निदेशक के रूप में एक सामान्य बैठक में निदेशक के तौर पर नियुक्त होने से रह गया हो, के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति है, हालांकि, श्री बिम्बाधर प्रधान को अपर निदेशक के स्थान पर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

6. कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक का वार्षिक मूल्यांकन सम्पूर्ण निदेशक मण्डल द्वारा किया जाना चाहिए, हालांकि, कम्पनी में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था इसलिए ऐसा नहीं किया गया।

7. धारा 117 के अनुसार, धारा 102 के तहत विवरणात्मक कथन के साथ प्रत्येक संकल्प अथवा किसी भी समझौते की एक प्रति, यदि कोई है तो उसे बुलाई गई बैठक जिसमें कि संकल्प को प्रस्तुत किया जाना है, में नोटिस के रूप में जोड़ा जाए और प्रपत्र MGT 14 में संकल्प पारित करने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किया जाए। हालांकि, कम्पनी द्वारा 30 दिनों के बाद कुल प्रपत्र एमजीटी-14 को भरा गया है।

8. कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कम्पनी द्वारा कम्पनी की वेबसाइट पर अपनी वार्षिक रिटर्न की एक प्रति रखी जाए। हालांकि, कम्पनी ने अपनी वेबसाइट पर अपनी वार्षिक रिटर्न को अपलोड नहीं किया है।

9. कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 96 के प्रावधानों के तहत, एक व्यक्ति की कम्पनी के अलावा प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक वर्ष अन्य बैठकों के अलावा अपनी वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाए और उक्त बैठक को आहूत करने वाले नोटिस में इसे स्पष्ट किया जाए। साथ ही किसी कम्पनी की एक वार्षिक आम सभा की तारीख से दूसरी आम सभा की बैठक में पंद्रह माह से अधिक का विलम्न नहीं होना चाहिए। हालांकि, कम्पनी द्वारा निर्धारित समय में अपनी वार्षिक आम सभा का आयोजन नहीं किया गया।

10. दिनांक 26 मई, 2020 को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक आम सभा आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित खण्ड अथवा धाराओं में उल्लंघन किया गया ।

क्र. सं.	कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा	विवरण
1.	धारा 92	वार्षिक रिटर्न भरना
2.	धारा 96	वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित करना
3.	धारा 129	वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना
4.	धारा 134	वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट आदि
5.	धारा 137	रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण की प्रति प्रस्तुत करना

11. लेखा परीक्षा अथवा ऑडिट के दौरान, हमने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक आम सभा की बैठक में देरी के लिए माफी मांगने हेतु आवेदन अथवा याचिका दर्ज करने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं पाया।

12. जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक आम सभा को दिनांक 26 मई, 2020 को आयोजित किया गया, हालांकि आरओसी के साथ भरी गई एनुअल के लिए भरे गए संबंधित प्रारूपों में वार्षिक आम सभा की तारीख 30 दिसम्बर, 2019 बताई गई है।

13. सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में प्रदान की कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है :
    - दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड का संयोजन;
    - दिशानिर्देशों के अनुसार समितियों का गठन नहीं किया गया;

कम्पनी पर लागू अन्य कानूनों के संबंध में, हमने ऑडिट जांच के दौरान कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी/आंकड़ों पर विश्वास किया है और उस सीमा तक रिपोर्ट की जा रही है।

हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ कम्पनी के निदेशक मण्डल का विधिवत गठन नहीं किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मण्डल के गठन में किए गए बदलावों को अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन में किया गया।

बोर्ड के बैठकों की समय-सारणी, कार्यसूची मदों तथा कार्यसूची मदों पर विस्तृत नोट्स के संबंध में सभी निदेशकों को नोटिस अथवा सूचना निर्धारित समय सीमा के भीतर दी गई थी और साथ ही बैठक के पहले एवं बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची मदों पर पुनः जानकारी तथा स्पष्टीकरण हासिल करने हेतु कम्पनी में एक प्रणाली पहले से विद्यमान है।

निदेशक मण्डल तथा समिति बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए।

हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों व दिशानिर्देशों की निगरानी करने एवं अनुपालन सुनिश्चित करने में कम्पनी के आकार और ऑपरेशन के अनुरूप कम्पनी में पर्याप्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम, पुनः यह रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कम्पनी में कानून, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा मानकों आदि के अनुसरण में कम्पनी मामलों को प्रभावित करने वाली कोई विशेष घटना/कार्रवाई नहीं हुई।

हस्ताक्षर

सौरभ अग्रवाल
(सौरभ अग्रवाल एंड कम्पनी, कम्पनी सचिव)
एफसीएस नं. 5430
सी.पी. नं. 4868
UDIN : F005430B001545751

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2020

'अनुलग्नक A'

सेवा में,

सदस्यगण
एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड
CIN : U01400DL2011GOI226486
जी-2, ए ब्लॉक, एन.ए.एस.सी. परिसर,
देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली - 110 012

इस पत्र के साथ समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट को भी पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्ड का प्रबंधन करना कम्पनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपने विचार प्रकट करना हमारा दायित्व बनता है।
2. जहां कहीं आवश्यक था, हमने, कानूनों, नियमों, विनियमों तथा घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिवेदन हासिल किया।
3. कॉरपोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, जांच आधार पर कार्यविधियों के प्रमाणन तक सीमित थी।
4. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में न्यायोचित विश्वास हासिल करने के लिए जरूरी रीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया। जांच के आधार पर प्रमाणन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई कार्यविधि एवं रीतियों के परिणामस्वरूप हमारे विचार को एक न्यायोचित आधार मिलता है।
5. हमने, समीक्षा अवधि के लिए सांविधिक ऑडीटर्स रिपोर्ट पर विश्वास किया है, अत: हमारे द्वारा कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तिका की सटीकता व उपयुक्तता का प्रमाणन नहीं किया गया।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में और न ही सक्षमता अथवा प्रभावशीलता का कोई आश्वासन है जिसके साथ कम्पनी के मामलों का प्रबंधन किया गया है।

सौरभ अग्रवाल एंड कम्पनी
(कम्पनी सचिव)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.12.2020

सौरभ अग्रवाल
(पार्टनर)
FCS : 5430
CP No. : 4868

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधन) नई दिल्ली
Office of the Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources) New Delhi

गोपनीय

स. 801-पी.डी.ए(ए.एफ.&डब्ल्यू.आर)/AMG-2/A/cs/Agrinnovate/2020-21/2906
दिनांक :- 01.12.2020

सेवा में,

The Chief Executive Officer,
Agrinnovate India Limited,
G-2, A Block, NASC Complex,
D.P.S. Marg, New Delhi - 110012.

विषय: भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत Agrinnovate India Limited, के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर टिप्पणियां।

महोदय,

इस पत्र के साथ कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143(6)(b) के अंतर्गत **Agrinnovate India Limited** के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय खातों पर शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती भेजने की कृपा करें ।

भवदीय,

संलग्न : यथोपरि

1/12/2020
(अमिताभ प्रसाद)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य एंव जल संसाधन)

आठवाँ व नवाँ तल, सी॰ए॰जी॰ संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
8th & 9th Floor, C.A.G Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002
दूरभाष/Phone : 011-23239419 & 23239420, फैक्स/Fax : 91-11-23239416
E-mail : mabnewdelhi4@cag.gov.in

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ज़ के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड़ के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ज़ के लिए **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिाक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, अधिनियम की धाारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के तदनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधाार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह कार्य कर दिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धाारा 143 (6) (क) के अंतर्गत, **एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड** की 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ज़ के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। इस पूरक लेखा परीक्षा को सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग पेपर तक पहुंच के बिना ही स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह रिपोर्ट मुख्यत: सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कम्पनी कार्मिकों की जिज्ञासा अथवा पूछताछ के लिए तथा कुछ एकाउन्टिंग रिकार्ड की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित है ।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधाार पर ऐसा कुछ भी विशेष मेरी जानकारी में नहीं आया है जिससे अधिनियम की धाारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनुपूर्ति अथवा टिप्पणी की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से

AKPrasad

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.12.2020

(अमिताभ प्रसाद)
प्रधान ऑडिट निदेशक
(कृषि, खाद्य एवं जल संसाधान)